

असामारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।—खण्ड 3—डप-खण्ड (I)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] No. 189l नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2014/बैत्र 12, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2014/CHAITRA 12, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 259 (आ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक, उप-धारा (4), उप-धारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 151, धारा 152 की उप-धारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उप-धारा (1) और धारा 170 के अधीन समादत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (केंद्रीय सरकार) के साधारण नियम और प्ररूप, 1956 या इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन विहित किन्ही अन्य नियमों को उन बातों के सिवाय, अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 हैं।
 - (2) ये नियम 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) " अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
- (ख) "उपाबंध" से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है;
- (ग) "अंकीय हस्ताक्षर" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (त) के अधीन यथापरिभाषित अंकीय हस्ताक्षर अभिप्रेत है;
- (घ) "निदेशक पहचान संख्या" (डिन) से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी किसी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्ति होनी है, आशयित है या किसी कंपनी के वर्तमान निदेशक को, उसकी पहचान करने के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार द्वारा आबंटित पहचान संख्या अभिप्रेत है:

परंतु कि इन नियमों को अधिसूचना से पहले व्यष्टियों द्वारा प्राप्त की गई निदेशक पहचान संख्या (डिन) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रयोजन के लिए निदेशक पहचान संख्या होगी।

परंतु यह और कि "निदेशक पहचान संख्या" (डिन) में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 7 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी अभिहित भागीदारी पहचान संख्या (डीपीआईएन) भी सम्मिलित होगी।

- (ड़) "इलैक्ट्रानिक अभिलेख" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा
- (1) के खंड (न) के अधीन यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेख अभिप्रेत है;
- (च) "इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री" से केन्द्रीय सरकार का ऐसा इलैक्ट्रानिक संग्रह या भंडारण अभिप्रेत है जिसमें सूचना या दस्तावेज इलैक्ट्रानिक रूप में प्राप्त किए जाते हैं, भंडारित, संरक्षित और परिरक्षित किए जाते हैं;
- (छ) "फीस" से ऐसी फीस अभिप्रेत है जो कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट है;
- (ज) "प्ररूप" या "ई-प्ररूप" से इन नियमों के उपाबंध में दिया ऐसा प्ररूप अभिप्रेत है जिसका प्रयोग उस विषय के लिए किया जाएगा, जिससे वह संबंधित है;
- (झ) "प्रादेशिक निदेशक" से केंन्द्रीय सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (স) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ट) अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा (1) के खंड (घ) और धारा 167 की उप-धारा (1) के खंड (च) के प्रयोजन के लिए "या अन्यथा" से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके संबंध में उसे, उक्त अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम के अधीन या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, के अधीन परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम या उन अधिनियमों में है।
- 3. बोर्ड में महिला निदेशकः निम्नलिखित श्रेणी की कंपनियां कम-से-कम एक महिला निदेशक नियुक्त करेंगी:-
- (i) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी;
- (ii) प्रत्येक ऐसी अन्य पब्लिक कंपनी जिसके पास;
- (क) सौ करोड़ रू. या अधिक की समादत्त शेयर पूंजी हो; या
- (ख) तीन सौ करोड़ रू. या अधिक का आवर्त हो:

परंतु ऐसी, कंपनी को, जो कि अधिनियम के अधीन निगमित की गई है तथा धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के उपबंधों के अधीन आती है, उसके निगमन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसे उपबंधों का अनुपालन करना होगाः

परंतु यह और कि, इसके अलावा महिला निदेशक की कोई आवरायेक रिक्ति को बोर्ड द्वारा शीघातिसीच, किंतु बोर्ड की अग्रगामी बैठक के ठीक अपश्चात् या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन मास के भीतर इनमें से, जो भी बाद में हो, भरी जाएगी।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति समादत्त शेयर पूंजी या आवर्त को नवीनतम संपरीक्षित विवरण के अनुसार हिसाब में लिया-जाएगा।

- 4. स्वतंत्र निदेशकों की संख्याः- निम्नलिखित श्रेणी या श्रेणियों की कंपनियों में कम-से-कम दो निदेशक स्वतंत्र निदेशक के रूप में होंगे -
- (i) पब्लिक कंपनियां, जिनके पास दस करोड़ रू. या उससे अधिक की समादत्त शेयर पूंजी हो; या
- (ii) पब्लिक कंपनियां, जिसके पास एक सौ करोड़ रू. या अधिक का आवर्त हो; या
- (iii) पब्लिक कंपनियां जिनके पास कुल बकाया उधार; डिबेंचर और जमाराशियां पचास करोड़ रूपये से अधिक की हो।

परंतु कि इस नियम के अंतर्गत आने वाली किसी कंपनी के लिए अपनी लेखापरीक्षा समिति के गठन के कारण उच्चतर संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करना अपेक्षित है; तो उसे स्वतंत्र निदेशकों की ऐसी उच्चतर संख्या लागू होगी:

परंतु और किसी स्वतंत्र निदेशक की आकस्मिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा शीघ्रातिशीघ्र किंतु बोर्ड की अगामी बोर्ड बैठक के ठीक अपश्चात् उक्त रिक्ति की तारीख से तीन मास के भीतर, इनमें से जो भी बाद में हो, भरी जाएगीः

परंतु यह भी कि जहां कोई कंपनी लगातार तीन वर्षों तक उप-नियम (1) में अधिकथित शर्तों में से किसी एक को पूरा करना बंद कर दे तो उसके लिए इन उपबंधों को पूरा करना अपेक्षित नहीं है जब तक वह ऐसी शर्तों को पूरा नहीं कर देती।

स्पष्टीकरणः इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि नवीनतम संपरीक्षित वित्तीय विवरणों की अंतिम तारीख को यथाविद्यमान समादत्त शेयर पूंजी या आवर्त या बकाया उधार, डिबेंचर तथा जमाराशियों, को हिसाब में लिया जाएगा, हिसाब में लिया जाएगा।

परंतु कि कोई कंपनी, कंपनियों की ऐसी श्रेणी से संबंधित है जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि में स्वतंत्र निदेशकों की अधिक संख्या विनिर्दिष्ट की गई है तो वह ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन करेगी।

- 5. स्वतंत्र निदेशकों की अर्हताएं:- स्वतंत्र निदेशक के पास वित्त, विधि, प्रबंधन, बिक्री, विपणन, प्रशासन, अनुसंधान, कारपोरेट शासन, तकनीकी प्रचालन या कंपनी कारबार से संबंधित अन्य विधाओं में समुचित कौशल और ज्ञान होना चाहिए।
- 6. स्वतंत्र निदेशक बनने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्तियों के डाटाबैंक का सूजन और रखरखाव:- (1) कोई ऐसा निकाय, संस्थान या संगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभिकरण" कहा गया है) जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, स्वतंत्र निदेशक बनने के इच्छुक और योग्य व्यक्तियों के डाटा बैंक का सृजन और रखरखाव करेगा तथा ऐसे डाटा बैंक को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित या अधिसूचित वेबसाइट में डाला जाएगा।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट डाटा बैंक में, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के योग्य और इच्छुक प्रत्येक व्यक्तियों से संबंधित डाटाबैंक में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे -
- (क) निदेशक पहचान संख्या;
- (ख) पूरा नाम और उपनाम;
- (ग) आयकर स्थायी खाता संख्या(पैन);
- (घ) पिता तथा माता का नाम तथा पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित हो तो);
- (ङ) जन्म की तारीख;
- (च) लिंग;

- (छ) राष्ट्रीयताः
- (ज) व्यवसाय;
- (झ) पिन कोड सहित पूरा पता (वर्तमान तथा स्थायी);
- (ञ) दूरभाष;
- (ट) ईमेल आई डी;
- (ठ) शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं;
- (ड) अनुभव और विशेषज्ञता यदि कोई हो,;
- (ढ) क्या ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है;
- (ण) निम्नलिखित सीमित दायित्व भागीदारियों की सूची, जिनमें वह नामनिर्दिष्ट भागीदार है या था:
 - (i) सीमित दायित्व भागीदारी का नाम;
 - (ii) उद्योग की प्रकृति;
 - (iii) तारीखों सहित अवधि;
- (त) निम्नलिखित सहित ऐसी कंपनियों की सूची, जिनमें वह निदेशक है या था:
 - (i) कंपनी का नाम;
 - ु(ii) उद्योग की प्रकृति;
 - (iii) निदेशक पद की प्रकृति— कार्यपालक निदेशक या गैर कार्यपालक निदेशक या प्रबंध निदेशक या स्वतंत्र निदेशक या नामनिर्दिष्ट निदेशक; तथा
 - (iv) तारीखों सहित अवधि।
- (3) किसी दावात्यक्त को डाटाबेस वाली वेबसाइट पर सहजदृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाएगा कि कंपनी ने किसी व्यक्ति को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने से पूर्व स्वयं सम्यक तत्परता बरतनी चाहिए और डाटाबेस का अनुरक्षण करने वाला 'अभिकरण' या केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति, जिसकी विशिष्टियां डाटा बैंक का हिस्सा हैं, की उपयुक्तता के बारे में सूचना की शुद्धता या योग्यता की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- (4) कोई व्यक्ति जो स्वंतत्र निदेशकों के डाटावैंक में अपना नाम सम्मिलित करवाने का इच्छुक है, वह प्ररूप डीआईआर-1 में 'अभिकरण' को आवेदन देगा।
- (5) अभिकरण, आवेदक से उसका नाम स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक में सम्मिलित किए जाने के लिए युक्तियुक्त फीस प्रभारित कर सकेगा।
- (6) कोई व्यक्ति जिसने अपना नाम स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक में सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन किया है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम डाटा बैंक में सम्मिलित है, अपनी विशिष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने के बारे में ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर अभिकरण को सूचित करेगा।
- (7) वेबसाइट पर डाले जाने वाला डाटाबैंक—
 - (क) विनिर्दिष्ट वेबसाइट में उपलब्ध होगा;
 - (ख)सारवान रूप से डाटाबैंक के भौतिक स्वरूप के समान होगा;
 - (ग) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर खोजे जाने योग्य होगा;
 - (घ) मुद्रण और ऑनलाइन देखे जाने योग्य, दोनों के लिए सुविधाजनक प्ररूप या प्ररूपों में प्रस्तुत किया जाएगा; और

- (ङ) विशिष्टियां देखने या मुद्रित करने के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर अभिप्राप्त करने के लिए लिंक निःशुल्क उपलब्ध होगा।
- 7. खोटे शेयरधारकों के निदेशक:- (1) सूचीबद्ध कंपनी में, कम से कम एक हजार छोटे शेयरधारकों या ऐसे शेयरधारकों की कुल संख्या के दसवें भाग, इनमें से जो भी कम हो, की रचना, छोटे शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित एक छोटे शेयरधारकों का निदेशक हो सकेगा:

परंतु कि इस उपनियम की कोई बात सूचीबद्ध कंपनी को छोटे शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक का स्वप्रेरणा से चुनाव करने से निवारित नहीं करेगी तथा ऐसी स्थिति में ऐसे निदेशक की नियुक्ति के लिए उप-नियम (2) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(2) किसी व्यक्ति को छोटे शेयरधारकों के निदेशक के पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करने के लिए आशयित छोटे शेयरधारक को बैठक से पूर्व कम-से-कम चौदह दिन पहले कंपनी को, ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम निदेशक पद के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है, नाम,पता शेयर और फोलियो संख्या और ऐसे छोटे शेयरधारकों के नाम, पता, धारित शेयर, फोलियो संख्या, जो उस निदेशक के पद के लिए ऐसे व्यक्ति का प्रस्ताव कर रहे हैं, विनिर्दिष्ट करते हुए अपने हस्ताक्षर से अपने आशय की सूचना देंगे;

परंतु यदि प्रस्ताबित किए गए व्यक्ति के पास कंपनी के शेयर नहीं है तो, सूचना में धारित शेयर और फोलियो संख्या के क्यौरे विनिर्दिष्ट करना आवश्यकता नहीं होगा:

- (3) सूचना के साथ छोटे शेयरधारकों के निदेशक के पद के लिए प्रस्तावित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित विवरण संलग्न किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित कथन होगा-
 - (क) उसकी निदेशक पहचान संख्या;
 - (ख) वह अधिनियम के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है; और
 - (ग) कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए उसकी सहमति।
- (4) ऐसा निदेशक, धारा 149 की उप-धारा (6) के अधीन उसके पात्र होने के अध्यक्षीन तथा अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (7) के अनुसार उसके द्वारा अपनी स्वतंत्रता का घोषणा करने के अधीन रहते हुए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में समझा जाएगा।
- (5) स्त्रोटे शेयरधारकों के निदेशक की नियुक्ति धारा 152 के उपबंधों के अधीन रहते हुए की जाएगी सिवाय उसके कि-
 - (क) ऐसा निदेशक चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने योग्य नहीं होगा ;
 - (ख) छोटे शेयरधारकों के निदेशक के रूप में ऐसे निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष की लगातार अवधि से अधिक नहीं होगा; और
 - (ग) कार्यकाल की समाप्ति पर, ऐसा निदेशक पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (6) कोई व्यक्ति किसी कंपनी के छोटे शेयर धारकों के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह धारा 164 के निबंधनानुसार नियुक्ति का पात्र नहीं है।
- (7) छोटे शेयरधारकों के निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति का पद रिक्त हो जाएगा यदि—
 - (क) निदेशक में धारा 164 में विनिर्दिष्ट कोई निईताएं उपगत होती हैं;
 - (ख) निदेशक पद धारा 167 के अनुसरण में रिक्त हो गया है;
 - (ग) निदेशक धारा 149 की उप-धारा (6) में यथाउपबंधित स्वतंत्रता के मापदंड को पूरा नहीं करता है।

(8) कोई व्यक्ति एक समय में दो से अधिक कंपनियों में छोटे शेयरधारकों के निदेशक के पद को धारण नहीं करेगाः

परंतु यदि दूसरी कंपनी, जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, ऐसा कारबार नहीं कर रही है जो पहली कंपनी में कारबार में प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतिद्वंद्विता में है।

- (9) छोटे शेयर धारकों के निदेशक को उस तारीख से जिसमें वह, किसी कंपनी में छोटे शेयरधारकों के निदेशक के रूप में पद छोड़ता है, तीन वर्ष की अवधि तक, ऐसी कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य हैसियत से, नियुक्त नहीं किया जाएगा या वह उससे संबद्ध नहीं होगा।
- 8. निदेशक के रूप में कार्य करने की सहमति:- प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, नियुक्ति होने पर या उससे पहले कंपनी को प्ररूप डीआईआर-2 में उस रूप में कार्य करने की एक लिखित सहमति प्रस्तुप्त करेगाः

परंतु कंपनी, निदेशक की नियुक्ति के तीस दिन के भीतर कंपनी (कार्यालय रजिस्ट्रीकरण और फीस) नियम, 2014 यथा उपबंधित फीस सहित प्ररूप डीआईआर-12 में ऐसी सहमति रजिस्ट्रार को फाइल करेगी।

- 9. निदेशक पहचान संख्या के आबंटन के लिए आवेदन:—
- (1) प्रत्येक व्यष्टि, जिसे कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना है, कंपनी (कार्यालय रजिस्ट्रीकरण और फीस) नियम, 2014 में यथा उपबंधित ऐसी फीस के साथ निदेशक पहचान संख्या के आबंटन के लिए केंद्रीय सरकार को प्ररूप डीआईआर-3 में इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा।
- (2) केंद्रीय सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की बेवसाइट पर पोर्टल के माध्यम से निदेशक पहचान संख्या के आबंटम के लिए आवेदन जमा करने हेतु एक इलेक्ट्रानिक तंत्र उपलब्ध कराएगी।
- (3) (क) आवेदक पोर्टल से प्ररूप डीआईआर-3 डाउनलोड करेगा, उसमें मांगी गई अपेक्षित विशिष्टियों को भरेगा तथा प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा और निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रति संलग्न करने के पश्चात् दस्तावेजों के पूरे सेट को इलेक्ट्रानिक रूप से स्केन और फाइल करेगा-
 - (i) फोटोग्राफ;
 - (ii) पहचान पत्र का प्रमाण;
 - (iii) निवास का प्रमाण;
 - (iv) प्ररूप- डीआईआर-4 में निदेशक पहचान संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक द्वारा सत्यापन; तथा
 - (v) सम्यक् रूप से सत्यापित नमूना हस्ताक्षर
 - (ख) आवेदक द्वारा प्ररूप **डीआईआर-3** अपने स्वयं के अंकीय हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रानिक रूप से हस्ताक्षरित और जमा किया जाएगा तथा-
 - (i) व्यवसायरत चार्टर्ड अकॉउंटेड या व्यवसायरत कंपनी सचिव या व्यवसायरत लागत लेखापाल द्वारा; या
 - (ii) कंपनी में पूर्णकालिक रूप से नियोजित कंपनी सचिव या उस कंपनी का प्रबंध निदेशक या निदेशक द्वारा, जिसमें आवेदक को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना है।
- 10. निदेशक पहचान संख्या का आबंटनः—(1) पोर्टल पर प्ररूप डीआईआर-3 जमा करने और ऑनलाइन रीति में अपेक्षित फीस की राशि संदाय करने पर सिस्टम अनंतिम अस्थायी निदेशक पहचान संख्या जनित हो जाएगी जिसका तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशक पहचान संख्या की पृष्टि नहीं कर दी जाती है।
- (2) केंद्रीय सरकार अनंतिम निदेशक पहचान संख्या जिनत होने के पश्चात् नियम 9 के उपनियम(2) के अधीन निदेशक पहचान संख्या के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदनों पर, उसके अनुमोदन या उसे नामंजूर किया जाने का

विनिश्चय करने के लिए कार्यवाही करेगी तथा अनुमोदन करने की दशा में आबंटित निदेशक पहचान संख्या सहित इसी सूचना को उक्त आवेदन प्राप्त होने से एक मास की अवधि के भीतर डाक द्वारा पत्र के माध्यम से या इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्य किसी रीति से आवेदक को सूचित करेगी।

(3) यदि केंद्रीय सरकार, जांच करने पर ऐसे आवेदन को किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाती है, तो वह उक्त आवेदन को वेबसाइट पर डालकर तथा ई-मेल द्वारा आवेदक को जिसने ऐसा आवेदन फाइल किया है, यह निदेश देते हुए कि वह वेबसाइट या ईमेल पर डाले जाने के पदंह दिनों की अवधि के भीतर उक्त त्रुटि और अपूर्णता को ठीक करके आवेदन पुनः फाइल करके ऐसी त्रुटि या अपूर्णता की सूचना देगी:

परंतु केंद्रीय सरकार

- (क) जहां आंशिक रूप से त्रुटि को ठीक किया गया है या दी गई सूचना फिर भी गलत पाई जाती है; वहां आवेदन अस्वीकार कर देगी तथा आवेदक को पूर्ण और सही सूचना के साथ नए सिरे से आवेदन फाइल करने का निदेश देगी:
- (ख) दिए गए समय के भीतर त्रुटियों को ठीक नहीं किए जाने की दशा में ऐसे आवेदन को अविधिमान्य समझेगी और उस रूप में चिह्नित करेगी; तथा
- (ग) आवेदक को डाक द्वारा पत्र भेजकर या इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्य किसी रीति में सूचित करेगी।
- (4) आवेदन के नामंजूर किए जाने या अविधिमान्य होने की दशा में, सिस्टम द्वारा इस प्रकार आबंटित अनंतिम निदेशक पहचान संख्या स्वतः रद्द हो जाएगी तथा आवेदन के साथ इस प्रकार संदत्त फीस न तो वापिस होगा न ही अन्य किसी आवेदन के साथ उसका समायोजन किया जाएगा।
- (5) इन नियमों के लागू होने से पहले केंद्रीय सरकार द्वारा व्यक्ति (व्यक्तियों) को आबंटित सभी निदेशक पहचान संख्याओं को इन नियमों के अधीन आबंटित माना जाएगा।
- (6) इन नियमों के अधीन इस प्रकार आबंटित निदेशक पहचान संख्या आवेदक के जीवनपर्यंत विधिमान्य रहेंगे और अन्य किसी व्यक्ति को आबंटित नहीं किए जाएंगे।
- 11. डिन को रह किया जाना, अभ्यर्पित किया जाना या निष्क्रिय किया जाना- केन्द्रीय सरकार या प्रादेशिक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), नोएडा या प्रादेशिक निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी व्यक्ति से प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न विशिष्टियों या दस्तावेजी सब्तों का सत्यापन करने के पश्चात् समाधान हो जाने पर निदेशक पहचान संख्या को रह या निष्क्रिय कर सकेगा यदि-
- (क) एक ही व्यक्ति के संबंध में निदेशक पहचान-पत्र संख्या की अनुलिपि पाई जाती है, परंतु कि दोनों निदेशक पहचान संख्या को प्रतिधारित संख्या के साथ मिला दिया जाए;
- (ख) निदेशक पहचान संख्या सदोषपूर्ण रीति या कपटपूर्ण साधन से प्राप्त किया गया हो;
- (ग) संबद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर;
- (घ) संबद्ध व्यष्टि को सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत्तचित्त वाला व्यक्ति घोषित किया गया हो;
- (ङ) यदि संबद्ध व्यक्ति को दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया हो;

परंतु कि खंड (ख) के अनुसरण में निदेशक पहचान संख्या को रद्द करने और निष्क्रिय करने से पूर्व, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(च) केंद्रीय सरकार, निदेशक पहचान संख्या धारक द्वारा इस घोषणा के साथ कि उसे किसी कंपनी में कभी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया तथा उसने कभी भी उक्त निदेशक पहचान संख्या का किसी भी प्राधिकारी के पास कोई दस्तावेज फाइल करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया है, अपनी निदेशक पहचान संख्या अभ्यर्पित करने के लिए प्ररूप डीआईआर-5 में दिए गए आवेदन देने पर, ऐसी निदेशक पहचान संख्या को निष्क्रिय कर सकेगी:-

परंतु कि ऐसी निदेशक पहचान संख्या को निष्क्रिय करने से पूर्व केंद्रीय सरकार ई-अभिलेखों का सत्यापन करेगी। स्पष्टीकरणः खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए,

- "सदोषपूर्ण रीति" पद से अभिप्रेत है कि निदेशक पहचान संख्या ऐसे उन दस्तावेजों के बल पर जो (i) विधिक रूप से विधिमान्य नहीं है या अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं या वास्तविक जानकारी का अधिक्रमण करके या गलत प्रमाणपत्रों के आधार पर या भ्रामक या मिथ्या जानकारी या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई है;
- "कपटपूर्ण साधन" पद से अभिप्रेत है यदि निदेशक पहचान संख्या केन्द्रीय सरकार सहित किसी (ii) अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को धोखा देने के आशय से प्राप्त की गई है।
- 12. निदेशक पहचान संख्या के आवेदन में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों में परिवर्तनों को सूचित किया जानाः-(1) प्रत्येक ऐसा व्यष्टि, जिसे इन नियमों के अधीन निदेशक पहचान संख्या आबंटित की गई है, प्ररूप डीआईआर-3 में यथाकथित अपनी विशिष्टियों में कोई भी परिवर्तन होने की स्थिति में निम्नलिखित रीति में प्ररूप डीआईकार-6 में ऐसे परिवर्तन (परिवर्तनों) के तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को ऐसे परिवर्तन (परिवर्तनों) की सूचना
 - (i) आवेदक पोर्टल से प्ररूप डीआईआर-6 डाउनलोड करेगा तथा उसमें सुसंगत परिवर्तनों को भरेगा, प्ररूप डीआईआर-7 में परिवर्तित विशिष्टियों के सबूत और सत्यापन की प्रति संलग्न करेगा और उन सभी को स्कैन करके इलेक्ट्रानिक रूप से जमा करेगा;
 - (ii) प्ररूप को व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यवसायरत कंपनी सचिव या व्यवसायरत लागत लेखापाल द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित कराया जाएगा;
 - (iii) आवेदक को प्ररूप डीआईआर-6 प्रस्तुत करना होगा;
- (2) केंद्रीय सरकार, संलग्न सबूतों से ऐसी परिवर्तित विशिष्टियों का सत्यापन करने के पश्चात् समाधान हो जाने पर; उक्त परिवर्तनों को सम्मिलित करेगी तथा आवेदक को, मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित इलेक्ट्रानिक डाटाबेस में किए गए ऐसे परिवर्तन के प्रभाव की पुष्टि की बाबत डाक द्वारा पत्र से या इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्य किसी रीति में सूचित
- (3) मंत्रालय का निदेशक पहचान संख्या प्रकोष्ठ प्ररूप डीआईआर-6 में उसके समक्ष प्रस्तुत निदेशक की विशिष्टियों में किया गया परिवर्तन (परिवर्तनों) को संबंधित रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रारों), जिसकी अधिकारिता में कंपनी (कंपनियों) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, जिसमें ऐसा व्यक्ति निदेशक है, स्थित है, को भी सूचित करेगा।
- (4) संबंधित त्र्यष्टि अपनी विशिष्टियों में हुए परिवर्तन (परिवर्तनों) की सूचना ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिन के भीतर कंपनी या कंपनियों, जिनमें वह निदेशक हैं, को भी देगा।
- 13. निदेशक पद के लिए अभ्यर्थिता की सूचनाः कंपनी, साधारण अधिवेशन से कम-से-कम सात दिन पहले अपने सदस्यों को निदेशक पद के लिए किसी व्यक्ति की अभ्यर्थिता के बारे में या किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को उस पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करने के आशय की सूचना देगी
- इलेक्ट्रानिक रीति के माध्यम से ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने संप्रेषण के प्रयोजनों के लिए कंपनी को अपना ई-मेल पता उपलब्ध कराया है तथा अन्य सभी सदस्यों को लिखित रूप में व्यक्तिगत सूचना देकर; और
- (2) कपनी की वेबसाइट में, यदि कोई हो, ऐसी अभ्यर्थिता की सूचना और आशय डालकर;

परंतु कंपनी के लिए पूर्वोक्त अनुसार सदस्यों को व्यक्तिगत सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा यदि कंपनी ने अधिवेशन से कम-से-कम सात दिन पूर्व कम से कम एक बार ऐसी अभ्यर्थिता या आशय का विज्ञापन उस जिले में, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, वहां की मुख्य स्थानीय भाषा वाले परिचालित स्थानीय समाचार-पत्र में और उस जिले में परिचालित अंग्रेजी समाचार-पत्र में अंग्रेजी भाषा में विज्ञापन दे दिया है।

- 14. बारा 164 की उपचारा (2) के अधीन निदेशकों की निरईता:-
- (1) अपनी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति से पूर्व प्रत्येक निवेशक, धारा 164 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप डीआईआर-8 में अपनी निर्हताओं के बारे में, यदि कोई हो, कंपनी को सूचित करेगा।
- (2) जब कभी कोई कंपनी धारा 164 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी फाइल करने में असफल रहती है या कोई जमाराशि, ज्याज, लामांश को का प्रतिसंदाय करने में असफल रहती है या अपने विवेचरों का मोचन करने में असफल रहती है तो कंपनी तुरंत रजिस्ट्रार को प्ररूप बीबाईबार-9, उसमें सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के सभी निदेशकों के नाम और पते देते हुए फाइल करेगी।
- (3) जब कोई कंपनी प्ररूप डीआईआर-9 फाइल करने में असफल रहती है तो वह ऐसी असफलता के तीस दिन की अबधि के भीतर उसे धारा 164 की उपधारा (2) के अधीन अयोग्यता समझा जाएगा और अधिनियम की धारा 2 के खंड (60) में विनिर्दिष्ट कंपनी के अधिकारी व्यतिक्रमी अधिकारी होंगे।
- (4) उप-नियम (2) के अधीन प्ररूप डीलाईलार-9 की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार तुरंत दस्तावेंजों को रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा उसे पब्लिक निरीक्षण हेतु दस्तावेज फाइल में रखेगा।
- (5) निदेशक की निरर्हता हटाए जाने के लिए कोई आवेदन प्ररूप डीआईआर-10 में दिया जाएगा।
- 15. निदेशक के त्यागपण का सूचना:- कंपनी, निदेशक से त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के श्रीतर प्ररूप डीआईआर-12 में रिजस्ट्रार को सूचित करेगी तथा अपनी वेबसाइट पर, यदि कोई हो, में उक्त जानकारी डालेगी।
- 16. निदेशक द्वारा अग्नेषित किए जाने वाले त्यागपत्र की प्रति:- जहां कोई निदेशक अपने पद से त्यागपत्र दे देता है वहां वह त्यागपत्र दिए जाने की तीस दिन की अवधि के भीतर में कंपनी (कार्यालय रजिस्ट्रीकरण और फीस) नियम, 2014 में यथा उपविधित फीस के साथ और प्ररूप डीआईआर-11 में त्यागपत्र दिए जाने के कारणों सहित अपने त्यागपत्र की एक प्रति रजिस्ट्रार को अग्नेषित करेगा।
- 17. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का रिजस्टर:- (1) प्रत्येक कंपनी निम्नलिखित विशिष्टियों को अंतर्विट करते हुए अपने निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का एक रिजस्टर अपने रिजस्ट्रीकृत कार्यालय में रखेगी अर्थात्
- (क) निदेशक पहचान संख्या (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए वैकल्पिक);
- (ब) वर्तमान पूरा नाम और उपनाम;
- (ग) पूर्व पूरा नाम और उपनाम;
- (ष) पिता का नाम, माता का नाम, पति/पस्नी का पूरा नाम (यदि विवाहित है) तथा पूरा उपनाम:
- (इ) जन्म तारीख;
- (च) आवासीय पता (वर्तमान और स्थायी);
- (छ) राष्ट्रीयता, (जिसके अंतर्गत मूल राष्ट्रीयता भी है, यदि भिन्न है तो);
- (ज) व्यवसाय:
- (झ) बोर्ड संकल्प की तारीख जिसमें नियुक्ति की गई भी:
- (ञ) कंपनी में नियुक्ति तथा पुननिर्युक्ति की तारीख;

- (ट) पद से हटने की तारीख और उसके कारण;
- (ठ) किसी अन्य निगमित निकाय में धारित या छोड़े गए निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पद;
- (ड) कंपनी सचिव की दशा में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की सदस्यता संख्या, यदि लागू हो और;
- (ढ) स्थायी खाता संख्या (निदेशक पहचान संख्या न होने पर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए अनिवार्य है)
- (2) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के ब्यौरों के अतिरिक्त कंपनी, पूर्वोक्त रजिस्टर में कंपनी, कंपनी में उनके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के ब्यौरे, उसकी नियंत्री कंपनी, अनुषंगियों, कंपनी की अनुषंगियों की नियंत्री कंपनी और निम्नलिखित से संबंधित सहबद्ध कंपनियां भी सम्मिलित की जाएंगी।
- (क) प्रतिभूतियां की संख्या, विवरण तथा अंकित मूल्य;
- (ख) अधिग्रहण की तारीख तथा मूल्य या संदत्त अन्य प्रतिफल;
- (ग) निपटान की तारीख और मूल्य तथा प्राप्त अन्य प्रतिफल;
- (घ) संचयी अतिशेष तथा प्रत्येक संव्यवहार के पश्चात् धारित प्रतिभूतियों की संख्या;
- (ड) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण की रीति;
- (च) धारण करने की रीति-भौतिक या अभौतिक रूप से; और
- (ध) क्या प्रतिभूतियां गिरवी रखी गई है या प्रतिभूतियों पर विल्लंगम सृजित किया गया
- 18. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विशिष्टियां को अंतर्विष्ट करने वाली विवरणी- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्त की विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाली विवरणी और उसमें हुए परिवर्तनों को प्ररूप डीआईआर-12 में, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या परिवर्तन, के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के साथ जो कंपनी (कार्यालय रजिस्ट्रीकरण और फीस) नियम, 2014 में उपबंधित है, रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी।

उपाबंध

प्ररूप डीआईआर-1 स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक में नाम शामिल करने हेतु आवेदन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 और नियम 6(4) के अनुसरण में]

- क. व्यक्तिगत ब्यौरे
 - 1. नाम
 - 2. लिंग "पुरूष 'स्त्री 'ट्रांसजेंडर
 - जनम तिथि
 - 4. राष्ट्रीयता
 - आवः गोय पता
 - 6. ई-मेल आ<mark>ईडी</mark>
 - दूरभाष/मोबाइल संख्या
- ख. शैक्षणिक ब्यौरे
 - ं अभियोग्यताएं
 - 2. लिए गए प्रशिक्षण के ब्यौरि, यदि कोई हो
- ग. व्यावसायिक स्यौरे और कार्य अनुभव
 - 1. व्यावसायिक वृत्ति और विशेषज्ञता का संक्षिप्त विवरण
 - 2. वर्तमान पद

भारत का राजपत्र : असाधारण

 वर्तमान जॉब अनुभव के कु पूर्व कार्य अनु 	ल वर्ष		
संगठन/कंपनी का नाम	कार्यग्रहण की तारीख	पद छोड़ने की तारीख	निष्पादित कार्य/जवाबदेहियों/दायित्वों की प्रकृति
2. वर्तमान निदे 3. बोर्ड समिति इ. अन्य सूचना, यदि व	शक पदों की संख्या यों की वर्तमान सदस्यताओं की होई हो, जो संगत समझी जाए	में निदेशक पद धारण किया उ ो संख्या (इंहो, जिसे बाद में दिया जान	
l			
(क) तारीख	के प्ररूप	द्वारा पूर्व में दी गई सूचना	प्रथवा ब्यौरे
(क) तारीख (ख) नई सूचना अथवा क		द्वारा पूर्व में दी गई सूचना व	प्रथवा ब्यौरे

प्ररूप डीआईआर-2

कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने की स्वीकृति
[धारा 152(5) और नियम 8 के अनसरण में]
सेवा में,
(कंपनी का नाम)
(कंपनी का पता)
विषयः निदेशक के रूप में कार्य करने की स्वीकृति।
पैं(कंपनी का नाम) के निदेशक के रूप में (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 की उप-धारा (5) के अनुसरण में कार्य करने की स्थीकृति देता हूं और प्रमाणित करता हूं कि मैं कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं हूँ।
1. निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) :
2. नाम (पूरा) :
3. पिता का नाम (पूरा) :
4. पताः
5. ई-मेल पताः
6. मोबाइल नंबरः
7. आयकर पैनः
8. व्यवसायः
9. जन्म तारी खः
10. राष्ट्रीयताः
11. कंपनियों की संख्या जिनमें पहले से ही निदेशक हूं और इनमें से उन कंपनियों के नाम जिनमें
अधिकारी, प्रबंधक हूँ।
12. सदस्यता संख्या के ब्यौरे और व्यवसाय का प्रमाण-पत्र, यदि आवेदक किसी वृत्तिक संस्थान का सदस्य है, यदि नहीं है तो शून्य लिखे।
मो ब णा
विषणा करता हूं कि मैं किसी कंपनी या एलएलपी के निर्माण या प्रबंधन, प्रोन्नति के संबंध में किसी अपराध का दोषी नहीं हूँ और मुझे विछले पांच वर्षों में इस अधिनियम अथवा पिछले कंपनी अधिनियम के अधीन किसी में किसी कपट या अपकरण या कर्तव्य भंग का दोषी नहीं पाया गया है। मैं और घोषणा करता हूं कि यदि कि किया जाता हूँ तो सभी कंपनियों में मेरे द्वारा धारित कुल निदेशक पदों की संख्या कंपनियों की निर्धारित जिलमें एक व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, से अधिक नहीं होगी।

पदनामः

तारीचः	 <u> </u>		
स्थानः			
संलग्नकः			ı
1. पहचान का सबूत			
2. निवास का सबूत			1 s 2

प्रपत्र डीआईआर-3

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 153, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 9(1) तथा सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 10 के अनुसरण में]



निवेशकों पहचान संख्या के आवंटन के सिए आवेदन

- 'के रूप में अंकित क्षेत्रों को भरना अनिवार्य है।
- भारतीय होने की स्थिति; आयकर स्थायी खाता नाम (आयकर पैन) अनिवार्य है तथा ऐसी स्थिति में आवेदक के ब्यौरे आयकर पैन के अनुसार होने चाहिए। आयकर पैन के अनुसार ब्यौरे सही न होने पर, आवेदक को सलाह दी जाती है कि सर्वप्रथम आयकर पैन में ब्यौरों को सही करें। ब्यौरों के लिए निर्देश किट देखें।
- विदेशी होने की स्थिति में, पासपोर्ट संख्या अनिवार्य है।

1.	आवेदक का नाम (पूरा नाम मरें तथा संक्रिसियों का प्रयोग न करें)		
	(क) प्रथम नाम	फोटोग्राफ	
	(ख) उपनाम		
	(ग) मध्य नाम		
		:	

(उपर्युक्त बॉक्स पर क्लिक करके पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करें) (फोटोग्राफ हटाएं)

2.	°पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम भरें)
	प्रथम नाम
	उपनाम
	मध्य नाम

- 3. "क्या भारतीय नागरिक है " हां " नहीं
- 4. राष्ट्रीयता
- 5. 'क्या भारतीय निवासी है 'हां 'नहीं
- 6. (क) *व्यवसाय का प्रकार * स्वनियोजित *व्यावसाविक * गृहिणी *विद्यार्थी * कर्मचारी व्यवसाय का क्षेत्र.....

	यदि 'अन्य' चुने तो उल्लेख करें			
	(स) *शैक्षणिक अर्चनारं	************	•	
7	(ख) *शैक्षणिक अर्हताएं	*********		
8.	*जन्म तिथि(रि	नि/माह/वर्ष)		
9.	*लिंग *पुरूष * स्त्री * ट्रांसजेंडर	•		

10.	आयकर स्थायी खाता संख्या	आयक	र पैन के ब्यौरों का स	त्यापन करें।
,	गतपाता प हचान पत्र सक्या			
12.	पासपोर्ट संख्या	************		
13,	ड्राइविंग लाइसेंस संख्या	*****		
14.	आधार संख्या	*****		
15.	स्थायी आवासीय पता			
	*पंक्ति I	,,		
	पंक्ति ॥			
	*शहर			
	राज्य	*************	***	
	*राज्य *आईएसओ कंट्री कोड		•	
;	देश	पन व	गेड	
	दूरभाषमोबाईल	•••	•	
7	मिल आईडी	,414,470444144444441144	फ व स	
16. 1	क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासी		, Or	
17. a	र्गिमान आवासीय पता	थ पता समान ह - ह	ग " नहा	
	कि ।			
_		**********		
	कि॥			
ş	हर			
₹	াক্য,			
3	ाईएसओ कंट्री कोड	पित को	5	·
ব	श,,	.,		
Ę	रभाषमोबाईल	*********	.फैक्स	
Ę	मेल	*****		
सं	लंग्नक			
				संलग्नकों की सूची
1.	*आवेदक की पहचान का प्रमाण	(संलग्न करें)	•	
2.	*आवेदक के आवास का प्रमाण	(संलग्न करें)		
3.		(and any		
	द्वारा सत्थापन की प्रति	(संलग्न करें)		
4.	वैकल्पिक संलग्नक- यदि कोई हो	•		
-•	रा. गामा । जा य जात्र हा	(संलग्न करें) ∕———ें		
		(संलग्लकों हटाएं)		
(व	विदक द्वारा अंकीय हस्ताक्षर हेतु)	(डीएससी बॉक्स)		
		Varmus		

मैं घोषित करता हूं कि मुझे प्रपत्र के प्रमाणन/सत्यापन के प्रयोजनार्थ विहित रूप से नियुक्त किया गया है। एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि:

• मैंने संलग्न दस्तावेजों के मूल के अनुसरण के आधार पर आवेदक की पहचान सुनिश्चित कर ली है।

नोटः आवेदक के भारत के बाहर निवास करने की स्थिति में विवरणों को प्रमाणित प्राधिकरण, जैसा विहित हो, द्वारा विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित दस्तावेजों से सत्यापित होना चाहिए।

- मैंने ऐसे व्यक्ति के फोटोग्राफ के अनुप्रमाणन को सुनिश्चित किया है।
- जिसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं; या
- जो मुझे अनुप्रमाणित मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से मिला है।
- यह भी प्रमाणित किया जाता है सभी अपेक्षित संलग्नक इस आवेदन के साथ पूर्णतः संलग्न किए गए हैं
- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने प्रपत्र के साथ संलग्न निर्धारित डीआईआर-4 प्रपत्र में सत्यापन दे दिया
 है।
- मैंने इस प्रपन्न की विषयवस्तु और उससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए
 नियमों का अध्ययन किया है और उपर्युक्त विवरण (संलग्नकों समेत) का सत्यापन कंपनी/ आवेदक द्वारा रखे गए मूल
 अभिलेखों से किया है जो इस प्रपन्न की विषयवस्तु है और यह पाया है कि वे सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्रपन्न से
 संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है।
- मैं यह भी प्रमाणित करता हूं किः
- सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण और स्पष्ट रूप से प्रपत्र के साथ संलग्न किए गए हैं।
- मैंने भावी संदर्भ के लिए प्रपत्र और उसके संलग्नकों की प्रति रख ली है।
- यह समझ लिया है मुझ पर किसी भी चरण में पाए गए गलत प्रमाणन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 449 के तहत कार्रवाई की जा सकती है

बंकीय हस्ताक्षर करने के लिए	(डीएससी बॉक्स)	श्रेणी
चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव	या लागत लेखाकार ((पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत) की स्थिति में
सदस्यता संख्या	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
प्रैक्टिस संख्या का प्रमाणपत्र		
एसोसिएट या फैलो है * एसोसिए	ट * फैलो	
कंपनी सचिव (पूर्णकासिक कार्यरा स्थिति में	त)या मौजूदा कंपनी, र्	जिसमें आवेदक को निदेशक के लिए प्रस्तावित किया गया है, का निदेशक होने की
निदेशक का डिन या कंपनी सचिव	ा की सदस्यता संख्या.	
कंपनी ,जिनके साथ सचिव या नि	देशक संबद्ध है ,तथा	जिसमें आवदेक को निदेशक के लिए प्रस्तावित किया गया है ,का सीआईएन (पूर्व पूरित)
कंपनी का नाम		
नोटः धारा 448 तथा 449 की प्रावधान है।	बोर भी ध्यान दिला	या जाता है जिसमें झूठे विवरण के लिए दंड तथा तया झूठे साक्ष्य के लिए दंड का
संशोधितफं	र्मि चेक करें	पूर्व संवीक्षाप्रस्तुत

सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु (फाइल करते संबंधी विवरण संबद्ध करें)
ई-फॉर्म सेवा अनुरोध सं. (एसआरएन)ई–फॉर्म जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)
प्राधिकृत अधिकारी के अंकित हस्ताक्षर
एतहबारा इस ई-प्रपत्र को अनुमोवित किया जाता है (जमा करने की पुष्टि करें) एतहबारा इस ई-प्रपत्र को अस्वीकृत किया जाता है
हस्ताक्षर की तिथि(दिन/माह/वर्ष)
या यह ई-प्रपत्र इक्तेक्ट्रानिक तरीके ते तथा कंपनी द्वारा विए गए यथातथ्यता के विवरण के आञार पर कंपनी रिवस्ट्रार द्वारा रखी नई फाइक में रख दिया गया है।

प्ररूप डीआईआर-4 डीआईएन के आवेदन के लिए आवेदक का सस्यापन शपय-पत्र के प्ररूप में होना चाहिए

[धारा 153 और नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 9(3)(क)(iv) के अनुसरण में]

∛	पुत्र/पुत्रीश्री	जन्म	निवासी	यह पुष्टि करता हूं और
				डीआईआर-3 में संलग्ने किए
जा रहे दस <mark>्तावे</mark> ज	नों के अनुरूप हैं।			
मैं पुष्टि करता हूं	हं और घोषणा करता ह	ह ुं कि		

- 1. प्ररूप डीआईआर-3 में संलग्न फोटो और दस्तावेज मेरे हैं। मैं यह और पुष्टि करता हूं कि सभी अपेक्षित दस्तावेज्ञ संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हैं और प्ररूप डीआईआर-3 में संलग्न किए गए हैं, और
- 2. मुझे धारा 164 और 169 सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से न ही रोका गया है न ही अर्हिय ठहराया गया है और न ही हटाया गया है, और
- 3. मुझे आर्थिक अपराध न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय या उच्च न्यायालय <mark>या किसी अन्य न्यायालय</mark> द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है।
- 4. मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के अधीन अभी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आबंटिस नहीं की गई है।
- 5. यदि इस आवेदन में कोई कथन मिथ्या पाया गया अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य का लोप किया गया है तो अधिनियम की धारा 448 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के संबंधित उपबंधों के अधीन अथवा कोई अन्य कानून, जो लागू होता है, के अधीन मैं जिम्मेदार होऊंगा।

*हिल्पणः जो लागू न हो, उसे काट दें।

इस्ताक्षरः

(नाम)

प्ररूप डीबाईबार-5 निदेशक पहचान संख्या अच्यर्पन हेतु आवेदन

	[धारा 153 और ना	म कंपनी (निदेशकों की निया	क्ति और अर्हता) नियम, 2014
		के नियम 11(च) के अनुस	रण में।
		, , ,	फोटो
1. आवेदक	का नाम (परा नाम लिखें 2	प्रौर संकेताक्षर का प्रयोग ना	
	and the state of	या ८ सम्प्राकार का प्रकाश मा	T()
(क) पहल	ा नामः		
(ख) अंति	र नामः		
(ग) मध्य	नामः		
2. आवेदक	ी निदेशक पहचान संख्या	(डीआईएन):	
3. डीआईएन	। अभ्यर्पण करने के कारणः	:	_
4. आयकर स	थायी खा ता संख्याः (भार	तीय राष्ट्रीयों के लिए आ व श्य	क) (आवेदक के क्यौरे आयकर पैन के अनुसार
हों)	·	***************************************	म् १ ना वया में स्थार जायकर पन के अनुसार
5. और निम्न	लेखित में से कोई एक		
	ाता पहचान पत्र संख्या		
	पोर्ट संख्या		
ग. ड्राइ	वेंग अनुज्ञप्ति संख्या		
घ. यूआः	डिंडी		
6. स्थायी नि	वास का पताः		
(क) पता	पंक्ति ।		
	पंक्ति ॥		
(ख) शहर			
(ग) राज्य			
(घ) देश			
(ङ) पिन कोड			
(च) दूरभाष			
(छ) फैक्स			
(ज) ई-मेल पत	π		
7. क्या वर्तमा	न निवास का पता और स्थ	ायी निवास का पता समान	. :
O हां			
O नहीं।			
8. वर्तमान नि रहे है)	वास पताः (पूर्व निवास प	ता, यदि वर्तमान निवास परे	ो पर एक साल से अधिक समय से नहीं रह
(क) पता	पंक्ति ।		
-	पंक्ति ॥		
(ख) शहर	77 17		
(५) गहर (ग) राज्य			

(घ) देश	
(ङ) पिन कोड	
(च) दूरभाष (छ) फैक्स	
(ज) ई-मेल पता	
	,
9. अन्य सूचना, यदि कोई हो, जो आवेदक इस आवेदन के साथ प्रस्तुत करना चाह	ता है:
10. क्या आवेदक द्वारा आवेदन डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित हैः	
O हां	
O नहीं।	
एतदद्वारा मैं यह भी घोषणा करता हूं (क) इस प्ररूप में दी गई सूचना और अन्य विशिष्टियां सत्य व सही हैं। (ख) मैं कभी किसी कंपनी में निदेशक नियुक्त नहीं किया गया हूं और डीआईएन समक्ष दस्तावेज़ दाखिल करने में नहीं किया गया है।	का प्रयोग किसी प्राधिकारी के
6 :	आवेदक के हस्ताक्षरः
दिनांकः स्थानः	
स्थानः	
अनिवार्य संलग्नकः	
(1) पहचान का सबूतः भारतीय राष्ट्रीयों के लिएः	
(निम्नलिखित में से कोई एक):	
O आयकर स्थायी खाता संख्या कार्ड	
O मतदाता पहचान पत्र	
O पासपोर्ट	
O ड्राइविंग लाइसेंस	
O आधार पहचान संख्या (यूआईएन)	
विदेशी राष्ट्रीयों और अप्रवासी भारतीयों के लिएः	
O पासपोर्ट	
O अन्य	
(2) निवास का प्रमाणः (संलग्न किए जा रहे दस्तावेज के सामने निशान लगाए)	
O मतदाता पहचान -पत्र	
O पासपोर्ट	
O ड्राइविंग लाइसेंस	
O बिजली का बिल	
O दूरभाष का बिल	
O बैंक खाते का विवरण	
O अन्य – कृपया उल्लेख करें	
(3) वैकल्पिक संलग्न, यदि कोई हो	
नोटः धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जो । 	पूठे विवरण और प्रमाण-यत्र के लिए
इंड का उपबंध करता है।	

प्रपत्र डीआईआर-6 (कंपनी (निवेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नि	विषम	निदेशक	रिकार को हित जाने वाले के विवरणों में परिवर्तन
2014 के नियम 12 के अनुसरण में]	सत्यमेव जय	की सूचन ग्ते	π
Strongwife.			
क के रूप में अंकित क्षेत्रों को अनिवार्यतः भरना			
भारतीय होने की स्थिति में, आयकर स्था ऐसी स्थिति में निदेशक के ब्यौरे आयकर पैन भागीदार को सलाह दी जाती है कि सर्वप्रथम 1. (क) निदेशक पहचान संख्या (डिन) (ख) नाम	कि अनुसार हाने चाहिए। आयकर पैन में ब्यौरों को स	आयकर पैन के अनु ाही करें। ब्यौरों के ि	यार राति न केले कर क्षेत्रेक 🛶
े °परि वर्तन का प्रकार			
*निदेशक	* पिता का नाम	*राष्ट्रीयता	
*जन्म	*तिथि लिंग	*आयकर पैन	
*मतदाता पहचान पत्र संख्या	*पासपोर्ट संख्या	*ड्राइविंग लाइसे	र्मि संख्या
*ई-मेल आईडी/मोबाईल	*स्थायी आवासीय पता	*वर्तमान आवार्स	ीय पता
*निदेशक का फोटोग्राफ	*आवासीय स्थिति		
"आधार सं <mark>ख्या " प्रपत्र सं .डी.बाईआ</mark> र-4 वे	के अनुसार सत्यापन * प्रपन्न	सं . डीवाई वार-7 वे	के अनुसार सत्यापन
सही सूचना भरें। केवल संमत क्षेत्र (क्षेत्रों) को भरें			
3 िनदेशक का नाम (पूरा नाम भरें तथा संक्षिप्तियों :	का प्रयोग न करें)		
(क) प्रथम नाम (ख) उपनाम (ग) मध्य नाम			फोटोग्राफ
		(उपर्युक्त बॉक्स	
		पर क्लिक	
		करके पासपोर्ट व भरने के लिए निर्दे	भाकार का फोटोग्राफ संलग्न <mark>करें) (इ</mark> न् रंश किट देखें)
			/

ः. पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम भरें)

(क)	।थम नाम	•
म्द्र)	उपनाम	

आवेदक	द्वारा अंकीय हस्ताक्षर हेतु (डीएससी बॉक्स))	संबग्नक हटाएं
	3. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो;	(सलंग्न करें)	
	सत्यापन की प्रति;	(सलंग्र करें)	
	 *विवरणों में परिवर्तन का प्रमाण; *प्रपत्र सं. डीआईआर-7 में निदेशक द्वारा 	(समंग्र करें)	
संलग्नक			
	•		
<u> यंत्र सम्</u>	ँ की सूची		
	दूरभाषफैब्	स	
	देश		
	आईएसओ कंट्री कोड		
	राज्य		
	शहर	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	पंक्ति ॥		
	पंक्ति ।	*************	
	17. क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवार		
	देश		··
	आईएसओ कंट्री कोडदूरभाष		***********
	राज्य		
	शहर		
	पंक्ति ॥	•	
	पंक्ति ।		
	ाठ.		
	14. गवाइल 15. व्हमेल पता		
	13. आधार संख्या 14. मोबाईल		•
	12. ड्रांइविंग लाइसेंस संख्या	********	
	10. मतवाता पहचान पत्र संख्या	•	***************************************
	9. बायकर पैन	·	
	8. लिंग " पुरुष *सडी " ट्रांसजेंडर	<u> </u>	
	7. जन्म तिथि(दिन/ग	माह/वर्ष)	
		_	
	6. राष्ट्रीयता 6. (क) क्या भारतीय निवासी है* हां* नहीं		
	5. क्या भारतीय नागरिक है * हां * नहीं ^ —^—		

प्रयाजपत्र

मैं घोषित करता हूं कि मुझे प्रपत्र के प्रमाणन/सत्यापन के प्रयोजनार्थ <mark>विहित रूप से नियुक्त किया गया है। एतद्वा</mark>रा प्रमाणित किया <mark>जाता है</mark> कि:

- मैंने संलग्न दस्तावेजों के मूल के अनुसरण के आधार पर आवेदक की पहचान सुनिश्चित कर ली है। नोटः आवेदक के भारत के बाहर निवास करने की स्थिति में विवरणों को प्रमाणित प्राधिकरण, जैसा विहित हो, द्वारा विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित दस्तावेजों से सत्यापित होना चाहिए।
- मैंने ऐसे व्यक्ति के फोटोग्राफ के अनुप्रमाणन को सुनिश्चित किया है।
- जिसे व्यक्तिगत रूप से जानता हुं; या
- जो मुझे अनुप्रमाणित मूल दस्तावेज़ों के साथ व्यक्तिगत रूप से मिला है।
- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने प्रपत्र के साथ संलग्न निर्धारित डीआईआर-7 प्रपत्र में सत्यापन दे दिया है।
- मैंने इस प्रपत्र की विषयवस्तु और उससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों का अध्ययन किया है और उपर्युक्त विवरण (संलग्नकों समेत) का सत्यापन कंपनी/ आवेदक द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों से किया है जो इस प्रपत्र की विषयवस्तु है और यह पाया है कि वे सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्रपत्र से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है।
- मैं यह भी प्रमाणित करता हुं कि:
- सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण और स्पष्ट रूप से प्रपत्र के साथ संलग्न किए गए हैं।
- मैंने भावी संदर्भ के लिए प्रपत्र और उसके संलग्नकों की प्रति रख ली है।
- यह समझ लिया है कि मुझ पर किसी भी चरण में पाए गए गलत प्रमाणन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

	वंकीय हस्ताक्षर करने के लिए (डीएससी बॉक्स) श्रेणी
	एसोसिएट या फैलो है * एसोसिएट * फैलो
	मदस्यता संख्या
	प्रैक्टिस संख्या का प्रमाणपत्र
	संशोधितफॉर्म चेक करेंपर्व संवीक्षा पस्तत
	नोटः घारा 448 तथा 449 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसमें झूठे विवरण के लिए दंड तथा झूठे साक्ष्य के लिए दंड का गवधान है।
सिर्फ काय	लय प्रयोग हेतु (दायर करने संबंधी विवरण संबद्ध करें)
ई-फॉर्म से	ा अनुरोध सं.(एसआरएन)ई–फॉर्म जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)
	विकारी के अंकीय हस्ताक्षर
इस ई-फॉर	को एतदद्वारा पंजीकृत किया जाता है (जमा करने की पुष्टि करें)
	ो तिथि(दिन/माह/वर्ष)

यह ई-प्रपत्र इलेक्ट्रानिक तरीके से तथा कंपनी द्वारा दिए गए यथातथ्यता के विवरण के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल में रख दिया गया है।

प्ररूप डीआईवार-7

डीआईएन विशिष्टियों में परिवर्तन के लिए आवेदक का स	त्यापन
(शपथ पत्र के प्ररूप में होना चाहिए)	
[कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12(1)(i) के अनुसरण में]
	नवीनतम फोटो चिपकाएं
मैंपुत्र/पुत्री श्रीजन्मनिवासी सत्यापित करता हूं कि प्ररूप डीआईआर-6 में दिए गए ब्यौरे सत्य हैं और प्ररूप दस्तावेजों के अनुसार है।	यह पुष्टि करता हूं और य डीआईआर-6 के साथ संलग्न
मैंने आवेदक को निम्नलिखित बदलने के लिए आवेदन किया है:-	
☐ नाम ☐ राष्ट्रीयता ☐ जन्म तिथि ☐ आयकर स्थायी खाता संख्या ☐ मतदाता पहचान पत्र संख्या ☐ पासपोर्ट संख्या ☐ ड्राइविंग लाइसेंस संख्या ☐ स्थायी निवास पता ☐ वर्तमान निवास पता	
ई-मेल पता (सबूत के साथ और यदि आवेदक का नाम या जन्म तिथि बदले है तो राजपत्र में प्र	काशित उसकी अधिसूचना की
एक प्रति सहित) मैं आगे पुष्टि और घोषणा करता हूं कि	
क. प्ररूप डीआईआर-6 में संलग्न फोटो और दस्तावेज मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किए गए हैं औ किए गए हैं, और	

- ख. मुझे धारा 164 और 169 सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से रोका अयोग्य और हटाया नहीं गया है. और
- ग. मुझे आर्थिक अपराध न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है, और
- घ. मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के अधीन अभी निदेशक पहचान संख्या आबंटित नहीं की गई
- उ. यदि इस आवेदन में कोई कथन मिथ्या पाया गया या किसी महत्वपूर्ण तथ्य का लोप किया गया है तो अधिनियम की धारा 448 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के संबंधित उपबंधों के अधीन अथवा कोई अन्य कानून जो लागू होता है के अधीन मैं जिम्मेवार होऊंगा।

*टिप्पणः जो लागू नहीं है, काट दें।

हस्ताक्षरः

(नाम)

<u>प्ररूप 'डीआईआर-8'</u>

निदेशक द्वारा सूचना

[ध ा	रा 164(2) और कंप	ी (निदेशकों की नियुक्ति और	र अर्हता) नियम, 2014 के	नियम 14(1) के अनुसरण ह	i]
कंपनी की रजिस्ट्री	कृत संख्या				
समादत्त पूंजी रुपा	Ţ				
कंपनी का नाम					
इसके रजिस्ट्रीकृत	कार्यालय का पता	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
सेवा में,					
निदेशक	मंडल				
मैं	पुत्र/पुत्री श्री	निवासी		_ कंपनी में निवेशक/प्रबंध [:]	निवेशक/प्रबंधक.
		ाँ के दौरान निम्नलिखित कं प			
कंपनी का नाम		नियुक्ति की तारीख	<u>परिविरति</u>	की तारीख	7
1					
2					

मैं और पृष्टि करता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त किसी भी कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अधीन निर्हर नहीं पाया गया हूं और मैं, वर्तमान में निदेशक के रूप में किसी भी अयोग्यता से मुक्त हूं।

मैं आगे पुष्टि करता हूं कि पिछले वितीय अधीन निर्हर पाया गया हूं और मैं, वर्तम			13 की धारा 164(2) क
कंपनी का नाम	नियुक्ति की तारीख	परिविरति की तारीख	
1			
2			·
तारीखदिन_			हस्ताक्षर (पूरा नाम)
	प्ररूप 'डीबाईआ	<u>c-9'</u>	
	निदेशक द्वारा रजिस्ट्रार	को रिपोर्ट	
क्षपना (ानदशका का ानयुक्त क	गैर अर्हता) नियम, 2014 के निय म्	। 14(८) के साथ पाठत धारा । ए	ι 4(∠) क अनु सरण म}
नामिय पूंजी रुपए			
समादत्त पूंजी रुपए			
कंपनी का नाम			
इसके रजिस्ट्रीकृतं कार्यालय का पता			
सेवा में,			
कंपनी रजिस्ट्रार			
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164			
वार्षिक लेखे तथा वार्षिकी विवरण, या	ii) की नियत तारीख तक र	तमा चुकाने या उस पर लगे ब्याज	चुकाने या अपने डिबेंचरों का
निश्चित तिथि तक भगतान कर	ने में या से कंपनी द्वाराघो	षित लाभांश का भगतान करने	में या दोनों में असमर्थ रहा है।

एक वर्ष की अवधि को समाप्त हो गई है।

संबंधित निश्चित	अवधि के लिए	् निदेशकों के नाम	और पते निर्धा	लेखित हैं∙-
			A1 / 1/1 1 / 24	migin x -

- (क) निदेशक का पूरा नाम, संकेताक्षर बिना
- (ख) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार निदेशक का नाम (संकेताक्षर को खोलकर और फैलाकर लिखा जाए)
- (ग) निदेशक का पताः (i) स्थायी
 - (ii) वर्तमान
- (घ) निरर्हता से पहले पिछले 5 वर्षों में निदेशक द्वारा धारित पद,

हस्ताक्षर

पदनाम'

तारीख_____दिन_

*बताएं क्या निदेशक, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या सचिव हैं,

<u>प्ररूप 'डीआईआर-10'</u>

निदेशक द्वारा सूचना हटाने के लिए आवेदन हेतु प्ररूप

[धारा 164(2) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 14(5) के अनुसरण में]

कंपनी की रजिस्ट्रीकरण संख्या		
नामिय पूंजी रुपए		
समादत्त पूंजी रुपए		
कंपनी का नाम		
उसके रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का पता		
वे आधार जिनके अधीन निदेशक (निदेशकों) को निरर्हित किय	गया है	
निरर्हिता की तारीख		
आवेदन के ब्यौरे		
	हर	ताक्षर
	प	दनाम'
तारीखदिन		
*बताएं क्या निदेशक, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या सचिव हैं		

प्रपत्र शिकाईबार-11

* त्यागपत्र के कारण

क्षंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 168(1) के परंतुक तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 16 के अनुसरण में]



रजिस्ट्रार को निदेशक के त्यागवज का नोटिस

इथ¥ की भाषा (रेडियो बटन) *अंग्रेजी * हिंदी प्रपत्र भरने के लिए निर्देश किट देखें। थह सूचना दी जाती है कि मैंने.....तारीख से कंपनी के निदेशक.....................तारीख से कंपनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया है जिसके स्वीरे नीचे दिए गए है: 1. कपनी के ब्यारे (क) *सीआईएन.....(पूर्व पूरित) (ख) जीएलएन..... (ग) कंपनी का नाम..... (ध) पंजीकृत कार्यालय का पता (ङ) कंपनी का ई-मेल पता 2. उक्त कंपनी से त्यागपत्र देने वाले निदेशक के ब्यौरे (क) " निदेशक पहचान संख्या (डिन).....(पूर्व पूरित) (ख) নাম..... 3. (क)*नियुक्ति की तारीख..... (ख) *पदनाम..... (ग) *श्रेणी..... (घ) *निदेशक, जिसके साथ नियुक्त व्यक्ति को स्थानांपन्न किया गया था, का डिन......(पूर्व पूरित) मूल निदेशक का नाम..... 4. (क) *कंपनी में त्यागपत्र दाखिल करने की तारीख..... (ख) त्यागपत्र के नोटिस में उल्लिखित त्यागपत्र की प्रभावी तारीख ,यदि कोई हो.....

संबद्धक	•
्ता । कंपनी में फाइल किया गया त्यागपत्र का नोटिस	(संसग्न करें)
(2) प्रेषण का प्रमाण	(संलग्न करें)
(3) कंपनी से प्राप्त अभिस्वीकृति	(संलग्न करें)
(4) वैकल्पिक संलग्नक-यदि कोई हो	(संसग्न करें)
मैंसत्यनिष्ठता से यह घ विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है। *निदेशक द्वारा अंकीय हस्ताक्षर करने हेतु डिन	
	ा जाता है जिसमें झूठे विवरण के लिए दंड तथा झूठे साक्य के लिए दंड का

वह ई-प्रपत्र इसेक्ट्रानिक तरीके से तथा कंपनी द्वारा दिए गए यथातव्यक्षा के विवरण के आधार पर कंपनी रिकस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइस में रख दिवा गवा है।

प्रपत्र डीआईआर-12

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(1) (ग), 168 तथा 170(2) तथा नियम 8, 15 और 18 के अनुसरण में]



निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंखकीय कार्मिकों की नियुक्ति के विषरण स्वा उनमें परिवर्तन

प्रपत्र की भाषा *हिंदी प्रपत्र भरने के लिए निर्देश किट देखें। 1. यह प्रपत्र है " नयी कंपनी " मौजूदा कंपनी, के लिए 2. (क) प्ररुप सं. आईएनसी 1 की संदर्भ संख्या [प्ररुप सं. आईएनसी 1 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)] या कंपनी की कारपोरेट पहचान सं. (सीआईएन)..... ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति सं. (जीएलएन)......(पूर्व पूरित) 3. (क) कंपनी का नाम..... (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता..... (ग) कंपनी का ई-मेल पता..... 4. प्रबंध निदेशक, निदेशक (निदेशकों) की संख्या जिनके लिए प्रपत्र दाखिल किया गया है..... 5. कंपनी के प्रबंध निदेशक, निदेशकों के क्यौरे..... । कंपनी के प्रंबध निदेशक या निदेशक के ब्यौरे निदेशक पहचान संख्या (डिन).....(पूर्व पूरित) नाम..... पिता का नाम..... वर्तमान आवासीय पता..... राष्ट्रीयता.....जन्म तिथि..... लिंग..... *नियुक्ति* समापन * पदनाम में परिवर्तन पदनामनियुक्ति की तारीख या पदनाम में परिवर्तन..... श्रेणी..... अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, गैर-कार्यकारी निदेशक में से क्या है "अध्यक्ष " कार्यकारी निदेशक " गैर कार्यकारी निदेशक निदेशक का डिन जिसके साथ नियुक्त व्यक्ति को स्थानापन्न किया गया...... (पूर्व परित) निदेशक का नाम जिसके साथ नियुक्त व्यक्ति को स्थानापन्न किया गया.....

कंपनी या संस्थान का नाम जिसका नियुक्त व्यक्ति नामिती है.....

निदेशक का ई-मेल पता.....

समापन की स्थिति में

	पृष्टि की जाती है कि उपर्युक्त व्यक्ति* निदेशक * प्रबंध निदेशकके कारण सेतारीख (दिन/माह/वर्ष) से कंपनी से संबद्ध नहीं है।
	अन्य निकायों में हित
	अन्य निकायों की संक्या
	*सीआईएन/एलएलपीआईएन/एफसीआरएन/पंजीकरण संख्या(पूर्व पूरित)
	*नाम
	*पता
	हित की प्रकृति* पदनाम
	शेयरधारिता का प्रतिशतराशि
	अन्य (उल्लेख करें)
6.	प्रबंधक (कों), सचिव (वों), मुख्य वित्तीय अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की संख्या, जिनके लिए प्रपत्र फाइल किया जा रहा है
7.	कंपनी के प्रबंधक, सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के व्यौरे । निदेशक पहचान संख्या (डिन) यदि कोई हो(पूर्व पूरित)
	आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन)(अयौरों का सत्यापन करें)
	*नियुक्ति * समापन
	सचिव की सदस्यता संख्या
	प्रथम नाम
	मध्य नाम
	उपनाम
	पिता का नाम
	प्रथम नाम
	मध्य नाम
	उपनाम
	स्थायी आवासीय पता पंक्ति I
	पंक्ति
	शहर
	राज्य
	आईएसओ कंट्री कोड
	देश
	दूरभाषफैक्स
	जन्म तिथि(दिन/माह/वर्ष)

नियुक्ति या समापन की तारीख	(हिन/बाब/कर्र)
ई-मेल पता	((41)418)44)
तंलग्रक-संलग्नकों की सूची	
 नियुक्ति-पत्र प्रथम निदेशक द्वारा घोषणा प्रपत्र सं. डीआईआर-2 में नियुक्त किए ज निदेशक की सहमित त्यागपत्र का नोटिस समापन का प्रमाण अन्य निकायों में हित वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो 	(संलग्न करें) (संलग्न करें) ाने वाले (संलग्न करें) (संलग्न करें) (संलग्न करें) (संलग्न करें) (संलग्न करें)
	मोक् <u>म</u> ा
*******************************	***************************************
व्यक्ति हूं जिसका नाम अनुच्छेदों में कंपनी के किपनी के निदेशक मंडल संकल्य संकल	r (नीचे देखेः निदेशक/प्रविधक/ कंपनी सचिव) के रूप नामित है।
ाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन गई सूचना सत्य, सही और पूर्ण है तथा कोई क	किया गाम कै। के क्या कि के किया किया में किया गाम किया गाम कि किया गाम क
हस्ताक्षर करने हेतु	(डीएससी बॉक्स)
नाम	
	नापक का आयकर पैन; प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डिन या आयकर पैन ;
दशक का निदशक पहचान संख्या; या परिसम	गापक का आयंकर पैने प्रमुखक कर कीर्य के क

[फा. सं. 1/22/13/सीएल-**∨**]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R. 259 (E).—In exercise of the powers conferred under second proviso to sub-section (1), sub-section (4), clause (f) of sub-section (6) of section 149, sub-sections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013, and in supersession of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 or any other rules prescribed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.
- 2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
- (a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (b) "Annexure" means the Annexure to these rules;
- (c) "digital signature" means the digital signature as defined under clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (d) "Director Identification Number" (DIN) means an identification number allotted by the Central Government to any individual, intending to be appointed as director or to any existing director of a company, for the purpose of his identification as a director of a company:

Provided that the Director Identification Number (DIN) obtained by the individuals prior to the notification of these rules shall be the DIN for the purpose of the Companies Act, 2013:

Provided further that "Director Identification Number" (DIN) includes the Designated Partnership Identification Number (DPIN) issued under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) and rules made thereunder:

- (e) "electronic record" means the electronic record as defined under clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (f) "electronic Registry" means an electronic repository or storage system of the Central Government in which the information or documents are received, stored, protected and preserved in electronic form;
- (g) "Fees" means the fees as specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014;
- (h) "Form" or "e-Form" means a form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;
- (i) "Regional Director" means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director;
- (j) "section" means section of the Act;

- (k) For the purposes of clause (d) of sub-section (1) of section 164 and clause (f) of sub-section (1) of section 167 of the Act, "or otherwise" means any offence in respect of which he has been convicted by a Court under the Act or under the Companies Act, 1956.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined under the Act or under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in those Acts or such rules.
- 3. Woman director on the Board.—The following class of companies shall appoint at least one woman director-
- (i) every listed company;
- (ii) every other public company having -
 - (a) paid-up share capital of one hundred crore rupees or more; or
 - (b) turnover of three hundred crore rupees or more:

Provided that a company, which has been incorporated under the Act and is covered under provisions of second proviso to sub-section (1) of section 149 shall comply with such provisions within a period of six months from the date of its incorporation:

Provided further that any intermittent vacancy of a woman director shall be filled-up by the Board at the earliest but not later than immediate next Board meeting or three months from the date of such vacancy whichever is later.

Explanation.- For the purposes of this rule, it is hereby clarified that the paid up share capital or turnover, as the case may be, as on the last date of latest audited financial statements shall be taken into account.

- 4. Number of Independent directors.—The following class or classes of companies shall have at least two directors as independent directors -
- (i) the Public Companies having paid up share capital of ten crore rupees or more; or
- (ii) the Public Companies having turnover of one hundred crore rupees or more; or
- (iii) the Public Companies which have, in aggregate, outstanding loans, debentures and deposits, exceeding fifty crore rupees:

Provided that in case a company covered under this rule is required to appoint a higher number of independent directors due to composition of its audit committee, such higher number of independent directors shall be applicable to it:

Provided further that any intermittent vacancy of an independent director shall be filled-up by the Board at the earliest but not later than immediate next Board meeting or three months from the date of such vacancy, whichever is later:

Provided also that where a company ceases to fulfil any of three conditions laid down in sub-rule (1) for three consecutive years, it shall not be required to comply with these provisions until such time as it meets any of such conditions;

Explanation. - For the purposes of this rule, it is here by clarified that, the paid up share capital or turnover or outstanding loans, debentures and deposits, as the case may be, as existing on the last date of latest audited financial statements shall be taken into account:

Provided that a company belonging to any class of companies for which a higher number of independent directors has been specified in the law for the time being in force shall comply with the requirements specified in such law.

(p)

(i)

- 5. Qualifications of independent director.—An independent director shall possess appropriate skills, experience and knowledge in one or more fields of finance, law, management, sales, marketing, administration, research, corporate governance, technical operations or other disciplines related to the company's business.
- 6. Creation and maintenance of data bank of persons offering to become independent directors.—(1) Any body, institute or association (hereinafter to be referred as "the agency"), which has been authorised in this behalf by the Central Government shall create and maintain a data bank of persons willing and eligible to be appointed as independent director and such data bank shall be placed on the website of the Ministry of Corporate Affairs or on any other website as may be approved or notified by the Central Government.
- (2) The data bank referred to in sub-rule (1) shall contain the following details in respect of each person included in the data bank to be eligible and willing to be appointed as independent director—
 - (a) DIN (Director Identification Number); (b) the name and surname in full; (c) income-tax PAN; the father's name and mother's name and Spouse's name (if married); (d) (e) the date of Birth; (f) gender: (g) the nationality; (h) the occupation: (i) full Address with PIN Code (present and permanent); (i) phone number; (k) e-mail id; **(l)** the educational and professional qualifications: (m) experience or expertise, if any; any legal proceedings initiated or pending against such person; (n) the list of limited liability partnerships in which he is or was a designated partner along (o) with---(i) the name of the limited liability partnership; (ii) the nature of industry; and (iii) the duration- with dates;

the list of companies in which he is or was director along with -

the name of the company:

- (ii) the nature of industry;
- (iii) the nature of directorship Executive or Non-executive or Managing Director or Independent Director or Nominee Director; and
- (iv) duration with dates.
- (3) A disclaimer shall be conspicuously displayed on the website hosting the databank that a company must carry out its own due diligence before appointment of any person as an independent director and "the agency" maintaining the databank or the Central Government shall not be held responsible for the accuracy of information or lack of suitability of the person whose particulars form part of the databank.
- (4) Any person who desires to get his name included in the data bank of independent directors shall make an application to "the agency" in Form DIR-1.
- (5) The agency may charge a reasonable fee from the applicant for inclusion of his name in the data bank of independent directors.
- (6) Any person who has applied for inclusion of his name in the data bank of independent directors or any person whose name appears in the data bank, shall intimate to the agency about any changes in his particulars within fifteen days of such change.
- (7) The databank posted on the website shall
 - (a) be accessible at the specified website;
 - (b) be substantially identical to the physical version of the data bank;
 - (c) be searchable on the parameters specified in sub-rule (2);
 - (d) be presented in a format or formats convenient for both printing and viewing online; and
 - (e) contain a link to obtain the software required to view or print the particulars free of charge.
- 7. Small shareholders' director.—(1) A listed company, may upon notice of not less than one thousand small shareholders or one-tenth of the total number of such shareholders, whichever is lower, have a small shareholders' director elected by the small shareholders:

fravided that nothing in this sub-rule shall prevent a listed company to opt to have a director representing small shareholders suo motu and in such a case the provisions of sub-rule (2) shall not apply for appointment of such director.

(2) The small shareholders intending to propose a person as a candidate for the post of small shareholders' director shall leave a notice of their intention with the company at least fourteen days before the meeting under their signatures specifying the name, address, shares held and folio number of the person whose name is being proposed for the post of director and of the small shareholders who are proposing such person for the office of director:

Provided that if the person being proposed does not hold any shares in the company, the details of shares held and folio number need not be specified in the notice:

- (3) The notice shall be accompanied by a statement signed by the person whose name is being proposed for the post of small shareholders' director stating
 - (a) his Director Identification Number:

.

- (b) that he is not disqualified to become a director under the Act; and
- (c) his consent to act as a director of the company
- (4) Such director shall be considered as an independent director subject to, his being eligible under sub-section (6) of section 149 and his giving a declaration of his independence in accordance with sub-section (7) of section 149 of the Act.
- (5) The appointment of small shareholders' director shall be subject to the provisions of section 152 except that-
 - (a) such director shall not be liable to retire by rotation;
 - (b) such director's tenure as small shareholders' director shall not exceed a period of three consecutive years; and
 - (c) on the expiry of the tenure, such director shall not be eligible for re-appointment.
- (6) A person shall not be appointed as small shareholders' director of a company, if the person is not eligible for appointment in terms of section 164.
- (7) A person appointed as small shareholders' director shall vacate the office if -
 - (a) the director incurs any of the disqualifications specified in section 164;
 - (b) the office of the director becomes vacant in pursuance of section 167;
 - (c) the director ceases to meet the criteria of independence as provided in sub-section (6) of section 149.
- (8) No person shall hold the position of small shareholders' director in more than two companies at the same time:

Provided that the second company in which he has been appointed shall not be in a business which is competing or is in conflict with the business of the first company.

- (9) A small shareholders' director shall not, for a period of three years from the date on which he ceases to hold office as a small shareholders' director in a company, be appointed in or be associated with such company in any other capacity, either directly or indirectly.
- 8. Consent to act as director.—Every person who has been appointed to hold the office of a director shall on or before the appointment furnish to the company a consent in writing to act as such in Form DIR-2:

Provided that the company shall, within thirty days of the appointment of a director, file such consent with the Registrar in Form DIR-12 along with the fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

- 9. Application for allotment of Director Identification Number.—(1) Every individual, who is to be appointed as director of a company shall make an application electronically in Form DIR-3, to the Central Government for the allotment of a Director Identification Number (DIN) along with such fees as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.
- (2) The Central Government shall provide an electronic system to facilitate submission of application for the allotment of DIN through the portal on the website of the Ministry of Corporate Affairs.
- (3) (a) The applicant shall download Form DIR-3 from the portal, fill in the required particulars sought therein and sign the form and after attaching copies of the following documents, scan and file the entire set of documents electronically—
 - (i) photograph;

- (ii) proof of identity;
- (iii) proof of residence;
- (iv) verification by the applicant for applying for allotment of DIN in Form DIR-4; and
- (v) specimen signature duly verified.
- (b) Form DIR-3 shall be signed and submitted electronically by the applicant using his or her own Digital Signature Certificate and shall be verified digitally by -
 - (i) a chartered accountant in practice or a company secretary in practice or a cost accountant in practice; or
 - (ii) a company secretary in full time employment of the company or by the managing director or director of the company in which the applicant is to be appointed as director.
- 10. Allotment of DIN.- (1) On the submission of the Form DIR-3 on the portal and payment of the requisite amount of fees through online mode the provisional DIN shall be generated by the system automatically which shall not be utilized till the DIN is confirmed by the Central Government.
- (2) After generation of the provisional DIN, the Central Government shall process the applications received for allotment of DIN under sub-rule (2) of rule 9, decide on the approval or rejection thereof and communicate the same to the applicant along with the DIN allotted in case of approval by way of a letter by post or electronically or in any other mode, within a period of one month from the receipt of such application.
- (3) If the Central Government, on examination, finds such application to be defective or incomplete in any respect, it shall give intimation of such defect or incompleteness, by placing it on the website and by email to the applicant who has filed such application, directing the applicant to rectify such defects or incompleteness by resubmitting the application within a period of fifteen days of such placing on the website and email:

Provided that the Central Government shall -

- (a) reject the application and direct the applicant to file fresh application with complete and correct information, where the defect has been rectified partially or the information given is still found to be defective;
- (b) treat and label such application as invalid in the electronic record in case the defects are not removed within the given time; and
- (c) inform the applicant either by way of letter by post or electronically or in any other mode.
- (4) In case of rejection or invalidation of application, the provisional DIN so allotted by the system shall get lapsed automatically and the fee so paid with the application shall neither be refunded nor adjusted with any other application.
- (5) All Director Identification Numbers allotted to individual(s) by the Central Government before the commencement of these rules shall be deemed to have been allotted to them under these rules.
- (6) The Director Identification Number so allotted under these rules is valid for the life-time of the applicant and shall not be allotted to any other person.
- 11. Cancellation or surrender or Deactivation of DIN.- The Central Government or Regional Director (Northern Region), Noida or any officer authorised by the Regional Director may, upon being satisfied on verification of particulars or documentary proof attached with the application received from any person, cancel or deactivate the DIN in case —
- (a) the DIN is found to be duplicated in respect of the same person provided the data related to both the DIN shall be merged with the validly retained number;

- (b) the DIN was obtained in a wrongful manner or by fraudulent means;
- (c) of the death of the concerned individual;
- (d) the concerned individual has been declared as a person of unsound mind by a competent Court;
- (e) if the concerned individual has been adjudicated an insolvent:

Provided that before cancellation or deactivation of DIN pursuant to clause (b), an opportunity of being heard shall be given to the concerned individual;

(f) on an application made in Form DIR-5 by the DIN holder to surrender his or her DIN along with declaration that he has never been appointed as director in any company and the said DIN has never been used for filing of any document with any authority, the Central Government may deactivate such DIN:

Provided that before deactivation of any DIN in such case, the Central Government shall verify e-records.

Explanation -- For the purposes of clause (b) --

- (i) the term "wrongful manner" means if the DIN is obtained on the strength of documents which are not legally valid or incomplete documents are furnished or on suppression of material information or on the basis of wrong certification or by making misleading or false information or by misrepresentation;
- (ii) the term "fraudulent means" means if the DIN is obtained with an intent to deceive any other person or any authority including the Central Government.
- 12. Intimation of changes in particulars specified in DIN application. (1) Every individual who has been allotted a Director Identification Number under these rules shall, in the event of any change in his particulars as stated in Form DIR-3, intimate such change(s) to the Central Government within a period of thirty days of such change(s) in Form DIR-6 in the following manner, namely;-
 - (i) the applicant shall download Form DIR-6 from the portal and fill in the relevant changes, attach copy of the proof of the changed particulars and verification in the Form DIR-7 all of which shall be scanned and submitted electronically;
 - (ii) the form shall be digitally signed by a chartered accountant in practice or a company secretary in practice or a cost accountant in practice;
 - (iii) the applicant shall submit the Form DIR-6;
- (2) The Central Government, upon being satisfied, after verification of such changed particulars from the enclosed proofs, shall incorporate the said changes and inform the applicant by way of a letter by post or electronically or in any other mode confirming the effect of such change in the electronic database maintained by the Ministry.
- (3) The DIN cell of the Ministry shall also intimate the change(s) in the particulars of the director submitted to it in Form DIR-6 to the concerned Registrar(s) under whose jurisdiction the registered office of the company(s) in which such individual is a director is situated.
- (4) The concerned individual shall also intimate the change(s) in his particulars to the company or companies in which he is a director within fifteen days of such change.
- 13. Notice of candidature of a person for directorship.— The company shall, at least seven days before the general meeting, inform its members of the candidature of a person for the office of a director or the intention of a member to propose such person as a candidate for that office-

- (1) by serving individual notices, on the members through electronic mode to such members who have provided their email addresses to the company for communication purposes, and in writing to all other members; and
- (2) by placing notice of such candidature or intention on the website of the company, if any:

Provided that it shall not be necessary for the company to serve individual notices upon the members as aforesaid, if the company advertises such candidature or intention, not less than seven days before the meeting at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district in which the registered office of the company is situated, and circulating in that district, and at least once in English language in an English newspaper circulating in that district.

14. Disqualification of directors under sub-section (2) of section 164.-

- (1) Every director shall inform to the company concerned about his disqualification under sub-section (2) of section 164, if any, in Form DIR-8 before he is appointed or re-appointed.
- (2) Whenever a company fails to file the financial statements or annual returns, or fails to repay any deposit, interest, dividend, or fails to redeem its debentures, as specified in sub-section (2) of section 164, the company shall immediately file Form DIR-9, to the Registrar furnishing therein the names and addresses of all the directors of the company during the relevant financial years.
- (3) When a company fails to file the Form DIR-9 within a period of thirty days of the failure that would attract the disqualification under sub-section (2) of section 164, officers of the company specified in clause (60) of section 2 of the Act shall be the officers in default.
- (4) Upon receipt of the Form **DIR-9** under sub-rule (2), the Registrar shall immediately register the document and place it in the document file for public inspection.
- (5) Any application for removal of disqualification of directors shall be made in Form DIR-10.
- 15. Notice of resignation of director,- The company shall within thirty days from the date of receipt of notice of resignation from a director, intimate the Registrar in Form DIR-12 and post the information on its website, if any.
- 16. Copy of resignation of director to be forwarded by him.-Where a director resigns from his office, he shall within a period of thirty days from the date of resignation, forward to the Registrar a copy of his resignation along with reasons for the resignation in Form DIR-11 along with the fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.
- 17. Register of directors and key managerial personnel.- (1) Every company shall keep at its registered office a register of its directors and key managerial personnel containing the following particulars, namely:-
 - (a) Director Identification Number (optional for key managerial personnel);
 - (b) present name and surname in full;
 - (c) any former name or surname in full;
 - (d) father's name, mother's name and spouse's name(if married) and surnames in full;
 - (e) date of birth;
 - (f) residential address (present as well as permanent);
 - (g) nationality (including the nationality of origin, if different);

- (h) occupation;
- (i) date of the board resolution in which the appointment was made:
- (j) date of appointment and reappointment in the company;
- (k) date of cessation of office and reasons therefor:
- (l) office of director or key managerial personnel held or relinquished in any other body corporate;
- (m) membership number of the Institute of Company Secretaries of India in case of Company Secretary, if applicable; and
- (n) Permanent Account Number (mandatory for key managerial personnel if not having DIN);
- (2) In addition to the details of the directors or key managerial personnel, the company shall also include in the aforesaid Register the details of securities held by them in the company, its holding company, subsidiaries, subsidiaries of the company's holding company and associate companies relating to-
 - (a) the number, description and nominal value of securities;
 - (b) the date of acquisition and the price or other consideration paid;
 - (c) date of disposal and price and other consideration received:
 - (d) cumulative balance and number of securities held after each transaction;
 - (e) mode of acquisition of securities:
 - (f) mode of holding physical or in dematerialized form; and
 - (g) whether securities have been pledged or any encumbrance has been created on the securities.
- 18. Return containing the particulars of directors and the key managerial personnel. A return containing the particulars of appointment of director or key managerial personnel and changes therein, shall be filed with the Registrar in Form DIR-12 along with such fee as may be provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 within thirty days of such appointment or change, as the case may be.

Annexure

Form DIR-1

Application for inclusion of name in the databank of Independent Directors

[Pursuant to section 150 of the Act and rule 6(4) of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

PART - A: Information and Particulars to be given at the time of Application

A. Personal Details

- 1. Name
- 2. Gender
- 3. Date of Birth
- 4. Nationality
- 5. Residential Address
- 6. E-Mail ID
- 7. Phone or Mobile Number

B. Educational Details

- 1. Qualifications
- 2. Details of Training undergone, if any

C. Professional Details and work experience

- 1. Brief description of professional career and expertise
- 2. Current Position
- 3. Current job profile
- 4. Total years of experience
- 5. Past work experience

	Name of the	Date	of	Date	of	Nature	of	job	or
	Organisation	joining		leaving		responsi	bilitie	S	or
	or Company					duties pe	rforn	ned	
D. De	etails of Board po	sitions							
1. Li	st of companies in	which dir	ector	ship held o	during	g the past	five y	ears	
2. Nı	ımber of current di	rectorship	s hel	d		-			
3. Nu	ımber of current m	embership	os of	Board con	nmitt	ees held			
	- B: Changes in the								 equently
b) New ir	nformation or parti	culars	<u>.</u>						
Date:				Sig	natur	e:			
Place:				Na	me:				

Form DIR-2

Consent to act as a director of a company

[Pursuant to section 152(5) and rule 8 of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

Directors) Rules, 2014]
То
(Name of the company)
· (Address of the company)
Subject: Consent to act as a director.
hereby give my consent to act as director of (name of
the company), pursuant to sub-section (5) of section 152 of the Companies Act, 2013 and
certify that I am not disqualified to become a director under the Companies Act, 2013.
Director Identification Number (DIN):
2. Name (in full):
3. Father's Name (in full):
4. Address:
5. E-mail id:
6. Mobile no.
7. Income-tax PAN
8. Occupation:
9. Date of birth:
10. Nationality:

- 11. No. of companies in which I am already a Director and out of such companies the names of the companies in which I am a Managing Director, Chief Executive Officer, Whole time Director, Secretary, Chief Financial Officer, Manager.
- 2. Particulars of membership No. and Certificate of practice No. if the applicant is a member of any professional Institute. Specifically state NIL if none.

Declaration

I declare that I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company or LLP and have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law in the last five years. I further declare that if appointed my total Directorship in all the companies shall not exceed the prescribed number of companies in which a person can be appointed as a Director.

Signature:.	• • •	•••	٠.	• •	٠.	٠.	 ,	•	••	•	•	•	
Designation	n·												

Date:

Place:

Attachments:

- 1. Proof of identity;
- 2. Proof of residence;

FORM NO. DIR.3

[Pursuant to section 153 of The Companies Act, 2013 & Rule 9(1) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 & Rule 10 of Limited Liability Partnership Rules, 2009]



Application for allotment of Director Identification Number

- All fields marked in * are to be mandatorily filled.

Income-tax Permanent Account Name (Income-tax PAN) is mandatory in case of Indian nationals and in such case applicant details should be as per Income-tax PAN. In case the details as per Income-tax PAN are incorrect, applicant is advised to first correct the details in Income-tax PAN. Refer instruction kit for details.

- In case of foreign nationals, Passport number is mandatory.

1. 'Applicant's name (Enter full name and do not use abbreviations) (a) First name (b) Last name (c) Middle name	
(c) Middle name	
2 Fatharia nana (Fatharia	
2. Father's name (Even married women must give father's name)	
(a) First name	
(b) Last name	
(C) Middle name (Attach a latest passport size	• •
3 Whether a citizen of India Yes No photograph by clicking on above box)	
4 Nationality Remove Photograph	
5. Whether resident in India o Yes o No 6. (a) "Occupation Type o Self-employed o Professional o Homemaker o Student o Serviceman Area of Occupation If 'other' selected, specify (b) Educational qualification 7. "Date of birth (DD/MM/YYYY) 8. Gender o Male o Female o Transgender	
9. Place of birth	
10. Income-Tax permanent account number Verify Income-tax PAN details	
11. Voter's identity card number	
12. Passport number	
13. Driving license number	

14. Aac	ihaar number					. 			
15. Per	manent residentia	al address							
*Line I			· · · · · · · ·	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Line II						*************************************		-	,
*City				·		·	<u></u> _		ı
*State						*Pin code			
· ISO c	ountry code								
Country	/	. 1.100							! [
*Phone		N	Mobile			Fax			
*e-mail	ID								
	hether present res		ress is sar	ne as permane	nt residential	address o Y	es o No		
Line I		-				<u></u>		•	
Line II									
City						· · - · -			
State	·		<u>-</u>			Pin code			
ISO co	untry code			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J	'			•
Countr	y								
Phone			Fax [
			_						
Attach	ments					List of attacl	ments	ר	
·. 'Pro	of of identity of appli	icant		Attach]				
2. ' Pro	of of residence of ap	oplicant		Attach	-				
	oy of verification by t Form No. DIR.4	the applicant as	.	Attach					
4. Opto	nal attachment(s) -	if any		Attach]				1
*To be	Digitally signed	by Applican	ıt	DSC BOX		Remove atta	schment		
					ification				
	e that I have been have satisfied mys								
	e: In case where								
atte	sted by the attesti	ing authority	as prescr	ribed.	·				
□ I als	so verify having a	o verify having attested the photograph of the said person:							

.

□ who is personal!	y known to me; or			
Who met me in a	y known to me; or			
 *It is further certified that *It is further certified that *i have gone through the 	tine applicant has given	nts have been complete a verification on p	etely attached to this prescribed form DiR.4	which is attached to this form.
records maintained by the complete and no informat 1 further certify that: 2 *All the required 1 have kept a co	Company/applicant white on material to this form	hich is subject matter in has been suppress in completely and legachments thereto in	of this form and for ed.	tachment(s)) from the origina and them to be true, essect and form;
** ** *********************************	that I shall be liable for ny found at any stage.	r action under Section	on 449 of the Compar	reference. nies Act, 2013 forwrong
"To be digitally signed by	DSC BOX			
Category	e de la companie			
In case of chartered accounts	nt or company secret	ary or cost accoun	tant (in whole time n	Practice)
Membership Number				,
Certificate of Practice Number				
Whether Associate or feilow	Associate o fellow			
In case of company secretary proposed to be director	(in whole time employ	yment) or director	of existing company	ia which the applicant is
DIN of the Director or member	ship number of Compa	ny Secretary		
CIN of company with which se				
n which applicant is proposed i		poortice alle		Pro-Mi
Name of company				
Note: Attention is drawn to n	routsions of Continue 44			
Note: Attention is drawn to preertificate and punishment for	dvisions of Section 44 false evidence respec	8 and 449 which p tively.	rovide for punishme	nt for false statement /
Mostry .	Check Form	Presorutiny	Submit	
For office use only :				
eForm Service request number (S	RN)	Affix filing of		
Digital signature of the authorisi	· 1	erom ming care	ic	DOMMAYYY)
This e-Form is hereby approved				••• ·
This e-Form is hereby rejected		Confirm Submission]	
Date of signing		(DD/MM/YYYY)		
This eform has been taken on file moof correctness given by the company	aintained by the registrar o	OR f companies through el	ectronic mode and on the	basis of statement

Form DIR-4

Verification of applicant for application for DIN

(To be in the form of Affidavit)
[Pursuant to section 153 and rule 9(3)(a)(iv) of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]
I,
I hereby confirm and declare that
1. The photograph and documents being attached to the Form DIR-3- belong to me. I further confirm that all required documents have been duly certified by the respective government authority and are being attached to the Form DIR-3, and
2. I am not restrained, disqualified, removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of the Companies Act, 2013 including sections 164 and 169, and
3. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court, and
4. I have not been already allotted a Director Identification Number (DIN) under section 154 of the Companies Act, 2013, and
5. I shall be liable under section 448 of the Act and under the relevant provisions of the Indian
Penal Code, 1860 and any other law as applicable, if any statement in this application is found
to be false or any material fact is found to have been omitted.
Note: strike out whichever is not applicable.
Signature
(Name)

Form DIR-5

Application for surrender of Director Identification Number

[Pursuant to section	n 153 & rule 11(f) of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]
	Photograph
1. Applicant's name	(Enter full name and do not use abbreviations)
(a) First name:	
(b) Last name:	
(c) Middle name:	
2. DIN of the applica	nt:
3. Reasons for surrer	nder of DIN:
4. Income-tax perma Income-tax PAN)	nent account number: (mandatory for Indian nationals) (Details of the applicant shall be as per
5. And any one of the	following
a. Voter's identit	
b. Passport numb	er
c. Driving licence	e number
d. UID	
6. Permanent residentia	
(a) Address	Line I
	Line II
(b) City	
(c) State	•
(d) Country	
(e) Pin code	
(f) Phone	
(g) Fax	
(h) E-mail ID	
. Whether present reside	ntial address is same as permanent residential address:
O Yes	as permanent residential address.
O No	

8. Present residential address: (previous residential address, if not residing at the present residential address for more
than I year)
(a) Address Line I
Line II
(b) City
(c) State
(d) Country
(e) Pin code
(f) Phone
(g) Fax
(h) E-mail id
9. Other information, if any, which the applicant intends to submit with regard to this application:
10. Whether the application is being digitally signed by the applicant himself: O Yes O No
I hereby also declare that
(a) the information and other particulars given in this Form are true and correct.
(b) I have never been appointed as director in any company and the DIN has never been used for filing of any document with any authority.
Signature of the applicant:
Date:
Place:
Attackmants
Attachments: (1) Proof of Identity: For Indian Nationals:
(Any one of the following):
(Any one of the following): O Income tax Permanent Account Number Card
O Voter's identity card
O Passport
O Driving licence
O Data in the Control

O	Unique	Identity	Number	TIM
v	CHINGRE	INCHILL	MINIMEL	IUIN.

For Foreign Nationals and Non Resident Indians:

- O Passport
- O Others
- (2) Proof of residence: (tick against the document being enclosed)
 - O Voter's identity card
 - O Passport
 - O Driving license
 - O Electricity bill
 - O Telephone blil
 - O Bank account statement
 - O Others Please specify
- (3) Optional attachment(s), if any.

Note:. Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and false evidence.

9. Income tax PAN

FORM NO. DIR.6

[Pursuant to rule 12 (1) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]



Intimation of change in particulars of Director to be given to the Central Government

Note -- All fields marked in * are to be mandatorily filled. - in case of Indian nationals, income-tax Permanent Account Name (Income-tax PAN) is mandatory in all cases even if there is no change in income-tax PAN. In such cases, director details should be as per income-tax PAN. In case the details as per income-tax PAN are incorrect, director/ designated partner is advised to first correct the details in income-tax PAN. Refer instruction kit for details 1.(a) *Director Identification Number (DIN) Pre-fill (b) Name 2. * Type of change: Father's name ☐ Director Nationality Date of birth Gender Income-tax PAN Voters Identity card number Passport number Driving license number Permanent residential address | Present residential address E-mail ID/ Mobile Photograph of Director **Residential Status** Aadhaar number 🔲 Verification as per Form No. DIR.4 🔲 Verification as per Form No. DIR.7 Enter information that needs to be corrected. Enter only the relevant field(s) 3. Director's name(Enter full name and do not use abbreviations) Photograph (a) First name (b) Last name (c) Middle name 4. Father's name (Even married women must give father's name) (a) First name (b) Last name (Attach a latest passport (c) Middle name size photograph by clicking on above box)(Refer 5. Whether a citizen of India Yes O No instruction kit for details) 6. Nationality Remove Photograph 6A. Whether resident in India () Yes () No (DD/MM/YYYY) 7. Date of birth 8. Gender () Female O Transgender

Verify details

10. Voter's identity card number		11. Passport number		
12. Driving license number	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11. Passport number		
13. Aadhaarnumber				
*14. Mobile				
*15.Email ID				
16. Permanent residential add	recc			
Line I				
Line II				
City			<u> </u>	
State			Pin code	
ISO country code	Phone		Fax	
Country				
Line II City				
State				
ISO country code			Pin code	
Country				
Phone		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fax	:
ist of Attachments				
Attachments:				
*Proof of change in particula				
. ^Copy of verification by the o		DIR.7;		
. Optional attachments, if any.				ļ
*To be digitally signed by	Applicant			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ç	<u>ertification</u>		
I declare that I have been duly e	ngaged for the purpose	of certification/verifica	tion of this form. It is h	ereby certified that :

*I have satisfied myself about the identity of the applicant based on the perusal of the original of the attached docu-
ment.
Note: In case where the applicant is residing outside India the particulars have to be verified from the documents duly
attested by the attesting authority as prescribed.
I also verify having attested the photograph of the said person:
o who is personally known to me; or
owho meet me in person along with the original of the attested documents.
*All required attachments have been completely attached to this application
*The applicant has given a verification on prescribed form DIR.7 which is attached to this form.
*I have gone through the provisions of The Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this
form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the origi-
nal records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, cor-
rect and complete and no information materialto this form has been suppressed.
*I further certify that:
 *All the required attachments have been completely and legibly attached to this form; *I have kept a copy of this form and attachments thereto, in my records for future reference.
*It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of The Companies Act, 2013 for wrong cer-
tification, if any found at any stage.
TI
*To be digitally signed by
*Category
*Whether associate or fellow O Associate O Fellow
* Membership Number
*Certificate of Practice Number
Modify Check Form Prescrutiny Submit
Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for faise
statement / certificate and punishment for false evidence respectively.
English was pulse.
For office use only: Affix filing details
eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)
Digital signature of the authorising officer
This e-Form is hereby approved
This e-Form is hereby rejected Confirm Submission
Date of signing (DD/MM/YYYY)
<u></u>
OR
This e-Form has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode
and on the basis of statement of correctness given by the company.

Form DIR 7

Verification of applicant for change in DIN particulars

(To be in the form of Affidavit)

[Pursuant to rule 12(1)(I) of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

Affix recent photo

resident of
I have applied for change of Applicant's:-
□ name
□ Nationality
□ Date of birth
☐ Income-tax permanent account number
□ Voter's Identity card number
□ Passport number
☐ Driving licence number
□ Permanent residential address
☐ Present residential address
□ E-maii id
(along with proof and in case of change of applicant's name or
date of birth, a copy of notification published in the Gazette)
I further confirm and declare that

- a. The photograph and documents being attached to the Form DIR-6 belong to me. I further confirm that all required documents have been duly certified by the respective government authority and are being attached to the Form DIR-6 and
- b. I am not restrained, disqualified, removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of the Companies Act, 2013 including sections 164 and 169, and
- c. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court, and
- d. I have not been already allotted a Director Identification Number (DIN) under section 154 of the Companies Act, 2013, and
- e. I shall be liable under section 448 of the Act and under relevant provisions of the Indian Penal Code, 1860 and any other law as applicable, if any statement in this application is found to be false or any material fact is found to have been omitted.

*Note: strike out whichever is not applicable.

Signature:

(Name)

FORM 'DIR-8'

Intimation by Director

[Pursuant to Section 164(2) and rule 14(1) of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

Registration No. of Company			
Nominal Capital Rs	·····		
Paid-up Capital Rs.	···		
Name of Company			
Address of its Registered Office			
То			
The Board of Directors of		<u>.</u>	
I son/daug	hter/wife of	r/manager in	resident of
hereby give notice that I am/was last three years:-	a director in the fo	ollowing compan	ies during the
Name of the Company	Date of Appointment	Date of Cessation	
1			
2		~	

I further confirm that I have not incurred disqualification under section 164(2) of the Companies Act, 2013 in any of the above companies, in the previous financial year, and that I, at present, stand free from any disqualification from being a director.

I further confirm that I have incurred disqualifications under section 164(2) of the Companies Act, 2013 in the following company(s) in the previous financial year, and that I, at present stand disqualified from being a director.

Name of the Company 1 2	<u>Date of</u> <u>Appointment</u>	Date of Cessation
		Signature (Full Name)

Dated this _____ day of ____

FORM 'DIR-9'

Report by the company to Registrar

[Pursuant to Section 164(2) read with rule 14(2) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

Registration No. of Company	
Nominal Capital Rs	
Paid-up Capital Rs.	
Name of Company	·
Address of its Registered Office	**************************************
То	8 ₃
The Registrar of Companies,	
returns for the last three financial yethereon on due date being or pay dividend dec both. The period of one year has expired the name and address of directors at the name and address of di	he relevant period are as under :-
(a) Director's name in full, withou	t abbreviations

- (b) Director's name as per company's records(abbreviations may be expanded and shown)
- (c) Address of the Director : (i) Permanent

(ii) Present


(d) Positions held by the director in the last 5 years, prior to disqualification:

Signature

Designation*

Dated this _____ day of _____

*State whether Director, Managing Director, Manager or Secretary



FORM 'DIR-10'

FORM OF APPLICATION FOR REMOVAL OF DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Section 164(2) read with rule 14(5) of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

Registration No. of Company	-
Nominal Capital Rs	
Paid-up Capital Rs.	
Name of Company	
Address of its Registered Office	·
Grounds under which director(s) are disqualifie	ed
Date of disqualification	
Details of the application	
	Signature
	Designation*
Dated this day of	

^{*}State whether Director, Managing Director, Manager or Secretary

FORM NO. DIR.11

[Pursuant to proviso to section 168 (1) of The Companies Act, 2013 and rule 16 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules,

(3) Acknowledgement received from company;



Notice of resignation of a director to the Registrar

सन्यमेष जयने 20141 Form language (Radlo button) o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form. Notice is hereby given that I, the director of M/s have resigned from the office of director of the company with effect from the details of which are given below: 1. Details of the company (a) *CIN (b) GLN (c) Name of the company (d) Registered office address (e) Email ID of the company 2. Details of the director resigning from such company (a) *Director Identification Number (DIN) Pre-fill (b) Name 3. (a) * Date of appointment (b) *Designation (c) *Category (d) *DIN of the director to whom the appointee was alternate Pro-fill Name of the original director 4. (a) *Date of filing of resignation with the company (b) Effective date of resignation specified in the notice of resignation, if any 5.*Reasons for resignation 6. Whether confirmation is received from the company O Yes O No Attachment(s) Attach (1) *Notice of resignation filed with the company; (2) *Proof of dispatch: Attach

Attach

(4) Optional attachment(s) – if any	Attach
	Declaration
do solemply declare that to the	
is correct and complete.	our knowledge and belief the information given in this return
*To be digitally signed by Director	DSC Box.
DIN	
Note: Attention is also drawn to me	
punishment for false statement and pu	ovisions of Section 448 and 449 which provide in nishment for false evidence respectively.
Check Form	
Check Porm	Prescrutiny Submit
This affine the state of the st	d by the registrar of companies through electronic mode and on
the basis of statement of correctness given	A MA THE LEGISTICS OF CONTIDATIONS (ULCITOD SISCELUDIC MOVE and the

Form Language

FORM DIR-12

[Pursuant to sections 7(1)(c), 168 & 170 (2) of the Companies Act, 2013, rule 17 of Companies (Incorporation) Rules 2014 and rule 8, 15 & 18 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

English



Particulars of appointment of directors and the key managerial personnel and the changes among them

ihnd]

of Formes, Inc.1) or corpor	ate identity	number (C	IN) of com	pany —		 		_
(b)Global location number (G	LN) of comp	any				 L	Pre-間	
(a) Name of the company								
(b) Address of the registered office of the company		100				•		
or the company								
(c) e-mail ID of the company								
(c) e-mail ID of the company Number of Managing Direct	tor, directo	r(s) for wi	hich the fo	orm is bei	ng filed	 7		
					ng filed			
Number of Managing Direc	irector, dire	ctors of t	he compa	ny	ng filed			
Number of Managing Direct Details of the Managing Di	rector of dire	ctors of t	he compa	ny iy	ng filed] 		
Number of Managing Direct Details of the Managing Di Details of the Managing Di	rector of dire	ctors of t	he compa	ny iy] 		
Number of Managing Director identification number (rector of dire	ctors of t	he compa	ny iy				
Number of Managing Director identification number (Name Father's name	rector of dire	ctors of t	he compa	ny iy				
Number of Managing Direct Details of the Managing Di Details of the Managing Di Director identification number (rector of dire	ctors of t	he compa	ny iy				
Number of Managing Director identification number (Name Father's name	rector of dire	ctors of t	he compa	ny iy				
Number of Managing Director identification number (Name Father's name	rector of dire	ctors of t	he compa	ny iy				
Number of Managing Director identification number (Name Father's name	rector, dire	ctors of t	he compa	ny iy				

Whether chair	nan, executive director, non-executive director	
Chairman		
DIN of the dire	ctor to whom the appointee is alternate	
Name of the di appointee is al	rector to whom the	
	empany or institution as the appointee is	
e-mail ID of dir	ector	
In case of ces	sation	
Hereby confirm	ned that the above mentionedDirector Managing Director _ is not associated with the company	
Interest in o	ther entities	
Number of s	uch entities	
	/FCRN/Registration number Pre-fill	7.
*Name	T Trylin	_
*Address		
		ŀ
Nature of	*Designation	7
ineterest	Persentage of Shareholding Amount	
	Others (specify)	
for which 7. Details of	f manager(s), secretary(s), Chief Financial Officer or Chief Executive Officer the form is being filed the manager, secretary, Chief Financial Officer or Chief Executive Officer of the company	<u>.</u>
	fication Number(DIN), if any Pre-fill	
	manent account number (PAN) Verify details	
	nt O Cessation	
Membership ne	ember of the secretary	
First name		
Middle name		
Last neme		

Father's name		
First name		
Middle neme		
Last name		
Present residential address Line I		
Line II		
City		
State	Pin code	
ISO country code		
Country	·	
Phone	Fax	
Date of birth	(DD/MM/YYYY)	
Designation		
Date of appointment or cessation	(DD/MM/YYYY)	
e-mail iD		
6-IIIG# ID		
Attachments List of attach	mente	
(1) Letter of Appointment;		٦ .
(2) Declaration by first director		<u> </u>
(3) Consent of the appointee di		
in Form No. DIR-2;		
(4) Notice of resignation;	<u></u>	
(5) Evidence of cessation;		سا
(6) Interest in other entities;		
(7) Optional attachment(s), if a	inv	
(,,, op.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	
	Declaration	
I *		7
	orticles as a (Drop down: director / manager / company s	ー ecretary) of
the company; or	included as a (crosp action accessor), manager, company, a	,, ==
· '	by the Board of Directors of the Company vide	resolution
number	dated to sign this form and dec	
	mpanies Act, 2013 and the rules made thereunder in res	
•	orm and matters incidental thereto have been complied	
ad ajout iniditor of this it		

declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.
*To be digitally signed by
*Designation
*DIN of the director; or DIN or PAN of the manager
or CEO or CFO; or Membership number of the secretary

[F. No. 1/22/2013-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.